

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2021—अग्रहायण 26, शक 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

देवास विकास प्राधिकरण देवास

चामुण्डा कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, देवास (म. प्र.)

क्रमांक 1712

देवास, दिनांक 1 दिसम्बर 2021

“प्रारूप उन्नीस”

[नियम 19 (13) देखिए]

धारा 50 की उप-धारा 11 के अधीन नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (10) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा यह घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि, देवास विकास प्राधिकरण, देवास द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.डी.एस.-06/2020 मिनी सुपर कॉरिडोर अर्थात् तहसील देवास नगर के अन्तर्गत इंदौर-देवास रोड टाटा चौराहे के ग्राम अमोना, बिन्जाना, बीराखेडी, मेढकीचक एवं नागूखेडी से होते हुए उज्जैन रोड तक को संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

उक्त स्कीम के अभिविन्यास, मूल भूखण्ड तथा अन्तिम भूखण्ड को दर्शाते हुए तथा प्रारूप-उन्नीस (क) प्रारूप-उन्नीस (ख) तथा प्रारूप-उन्नीस (ग) में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण निम्न दर्शाये गये कार्यालयों में नब्बे दिवस की अवधि हेतु निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं :

1. देवास विकास प्राधिकरण, देवास, चामुण्डा कॉम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, देवास (म.प्र.)
2. कलेक्टर, जिला-देवास
3. उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, देवास, जिला-देवास
4. नगर पालिक निगम, देवास
5. प्राधिकरण की वेबसाईट अर्थात् <https://ddadewas.org>

उपरोक्त स्कीम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी।

विशालसिंह चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

कार्यालय, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

क्र. जविप्रा-भू-अर्जन-2021-238

जबलपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2021

धारा 50 की उप-धारा(1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन एवं मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ-3-47/2020/18-6 भोपाल दिनांक 20/04/2021 के तहत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण की नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-04/JBP/2020 अर्थात् ग्राम महाराजपुर, खैरी एवं हथना में बनाने का आशय रखता है। स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार है:-

संख्या क्रमांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (अंश सहित)	क्षेत्रफल हेक्टर में
1	राधेश्याम चौबे, प्रीति उजवने, यशोदा बाई बेवा, साफिया खान, नेहा श्रीवास्तव एवं अन्य 09	अधारताल	महाराजपुर	5/1/1/1	0.226
2	भारती असाटी एवं अन्य 03	अधारताल	महाराजपुर	5/1/1/2	0.862
3	सलीम खान	अधारताल	महाराजपुर	5/1/2	0.280
4	सलीम खान	अधारताल	महाराजपुर	5/1/3	0.080
5	सुमन सतीश असाटी, श्याम बिहारी, उर्मिला	अधारताल	महाराजपुर	5/2/1	1.446
6	प्रभा विश्वकर्मा एवं अन्य 14	अधारताल	महाराजपुर	5/2/2	0.920
7	श्रीमती भारती, आयुष, अंकिता	अधारताल	महाराजपुर	5/3/1/1	3.000
8	सलीम खान	अधारताल	महाराजपुर	5/3/1/2	1.000
9	यशोदा बाई एवं अन्य 05	अधारताल	महाराजपुर	5/3/2	0.862
10	सुमन असाटी एवं अन्य 04	अधारताल	महाराजपुर	5/4/2/1	0.440
11	मीना बर्मन एवं अन्य 05	अधारताल	महाराजपुर	5/4/2/2	0.280
12	शोभा सलारिया पति अजय सलारिया	अधारताल	महाराजपुर	6/1	1.248
13	दिलीप मेहता पिता स्व. धीरज लाल मेहता एवं अन्य 37	अधारताल	महाराजपुर	6/2	4.862
14	श्रीमती कविता बाटला पति सलीम बाटला एवं अन्य 70	अधारताल	महाराजपुर	6/3	4.862
15	श्रीमती शोभा पति अजय कुमार सलारिया	अधारताल	महाराजपुर	6/4	0.473
16	गुरदीप सिंह सालूजा पिता स्व. अमरीश, राजेन्द्र कुमार	अधारताल	महाराजपुर	6/5	2.023
17	अनिल भल्ला पिता डा. एम.एल. भल्ल, सीमा भल्ला	अधारताल	महाराजपुर	6/6	1.248
18	रामशरण सिंह चौहान पिता सूर्यवीर सिंह चौहान	अधारताल	महाराजपुर	6/79	0.024
19	दिलीप मेहता पिता स्व. धीरज लाल मेहता एवं अन्य 2	अधारताल	महाराजपुर	8	0.308
20	मोहम्मद जफर खान पिता स्व. मो. सरीफ	अधारताल	महाराजपुर	11/1	0.128
21	हायफा कोटी पिता मो. जहीर	अधारताल	महाराजपुर	11/2	0.050
22	दीपक पिता मदनलाल पटैल	अधारताल	महाराजपुर	11/3	0.271

23	श्रीमती वंदना गौर पति राजीव गौर, मयंक गौर नम्रता गौर	अधारताल	महाराजपुर	11/4	1.202
24	कु. हायका कोटी पिता मो. जहीर कोटी	अधारताल	महाराजपुर	11/5	0.051
25	नजमुस साकिब पिता स्व. मिसबाहुल	अधारताल	महाराजपुर	11/6	0.128
26	रेहाबुद दयाल पिता मिस बाहुल इस्लाम	अधारताल	महाराजपुर	11/7	0.128
27	सेहाबुदयार पिता मिसबाहुल इस्लाम	अधारताल	महाराजपुर	11/8	0.128
28	मो. लतीफ खान, कोटी पिता स्व. हमीद खान	अधारताल	महाराजपुर	11/9	0.128
29	जहीर खान कोटी पिता स्व. हमीद खान	अधारताल	महाराजपुर	11/10	0.128
30	श्रीमती रफीकुनिशा पति स्व. हमीद खान कोटी	अधारताल	महाराजपुर	11/11	0.130
31	वंश पति पिता रामगरीब पटैल	अधारताल	महाराजपुर	11/12	0.134
32	श्रीमती राजेश्वरी पति जयप्राकाश त्यागी एवं अन्य 8	अधारताल	महाराजपुर	12	0.745
33	नारंगी बाई बेवा दयाचंद संजय कुमार हेमन्त कुमार वल्द दयाचंद	अधारताल	महाराजपुर	13/1	2.180
34	मे. जे.एम. कंस्ट्रक्शन, सुधीर कुमार पिता बुधरानी पिता जुणियामल बुधरानी	अधारताल	महाराजपुर	13/2	1.316
35	रजिया बेगम पति मु. जहीर	अधारताल	महाराजपुर	14/1	0.149
36	मो. जहीर खान कोटी पिता मरहूम हमीद खान	अधारताल	महाराजपुर	14/2	0.149
37	मो. जहीर खान कोटी पिता मरहूम हमीद खान	अधारताल	महाराजपुर	14/3	0.149
38	मो. जहीर खान कोटी पिता मरहूम हमीद खान	अधारताल	महाराजपुर	14/4	0.149
39	मो. जहीर खान कोटी पिता मरहूम हमीद खान	अधारताल	महाराजपुर	14/5	0.149
40	यकदान कोटी पिता जहीर खान	अधारताल	महाराजपुर	14/6	0.149
41	गोविंद प्रसाद पिता अनंदी लाल	अधारताल	महाराजपुर	15/1	3.035
42	नारायण प्रसाद तिवारी पिता अनंदी लाल तिवारी	अधारताल	महाराजपुर	15/2	0.400
43	शिवकुमार, अनिल कुमार, राजेश पिता जागेश्वर प्रसाद उपाध्याय	अधारताल	महाराजपुर	15/3	2.428
44	रामदेव बाबा डेव्हलपर्स एंड बिल्डर्स लि. द्वारा डायरेक्टर लि. गणेश चांडक पिता विठ्ठलदास चांडक, नितिन हसमताराय बख्तियार पिता हसमताराय बख्तियार, संतोषी संजय बम, सौरभ संजय बम	अधारताल	महाराजपुर	15/4	2.833
45	रामप्रसाद वल्द अनंदी प्रसाद तिवारी	अधारताल	महाराजपुर	15/5	0.090
46	शिवकुमार, अनिल कुमार, राजेश पिता जागेश्वर प्रसाद उपाध्याय	अधारताल	महाराजपुर	15/7	0.405
47	दिलीप मेहता पिता स्व. धीरज लाल मेहता	अधारताल	महाराजपुर	15/8	0.268
48	रामदेव बाबा डेव्हलपर्स एंड बिल्डर्स लि. द्वारा डायरेक्टर लि. गणेश चांडक पिता विठ्ठलदास चांडक, नितिन हसमताराय बख्तियार पिता हसमताराय बख्तियार, संतोषी संजय बम, सौरभ संजय बम	अधारताल	महाराजपुर	15/9	2.635

49	मुकेश, राकेश, जीतश वल्द रामनाथबर्मन	अधारताल	महाराजपुर	18/1	0.483
50	मुकेश, राकेश, जीतश वल्द रामनाथबर्मन	अधारताल	महाराजपुर	18/3	0.055
51	अतुल दुबे पिता हरीशंकर दुबे	अधारताल	महाराजपुर	18/4	0.538
52	अतुल दुबे पिता हरीशंकर दुबे	अधारताल	महाराजपुर	18/5	0.146
53	अतुल दुबे पिता हरीशंकर दुबे	अधारताल	महाराजपुर	18/6	0.073
54	महेन्द्र प्रसाद समदड़िया वल्द रामशखा समदड़िया	अधारताल	महाराजपुर	19/1	0.150
55	राजूज्ञान, धनवंती बाई उर्फ बेनी, मीना बाई वल्द अर्जुनदास, दौलतराम, हरीश कुमार, किशनचंद वल्द अर्जुनदास, लक्ष्मीबाई	अधारताल	महाराजपुर	20	1.117
56	श्रीमती प्रतिभा पति भगवत खान पासोले, गीता, बालाजी, नारायण प्रभात खान पासोले एवं अन्य 2	अधारताल	महाराजपुर	21/1	0.288
57	उत्तमा पति तारयाजी, ललित, रमेशचंद, गुरुचरन दमोदर, हीरालाल कावले एवं अन्य 14	अधारताल	महाराजपुर	21/2	0.467
58	भागवत वल्द लहानुजी खान, काशीराम, अशोक, रामचंद, विजय कुमार एवं अन्य 6	अधारताल	महाराजपुर	21/3	0.355
59	कृ. अनूपा देसाई पिता किशोर कुमार देसाई	अधारताल	महाराजपुर	21/4	0.031
60	नगर पालिका निगम	अधारताल	महाराजपुर	22	4.760
61	मुकेश, सुरेश, दिनेश पिता नारायण प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	23/1	0.130
62	चंद्रभूषण वल्द हरचरणलाल सराफ	अधारताल	महाराजपुर	23/2	0.129
63	दिलीप मेहता पिता स्व. धीरज लाल मेहता, प्रवीण शर्मा, कविता बाटला,	अधारताल	महाराजपुर	24	0.316
64	दयासिंह, शंकर सिंह वल्द काशीराम	अधारताल	महाराजपुर	25/1	1.215
65	श्रीमती मीना मिश्रा पति रमन मिश्रा	अधारताल	महाराजपुर	25/3	0.405
66	श्रीमती मीना मिश्रा पति रमन मिश्रा	अधारताल	महाराजपुर	25/4	0.405
67	श्रीमती मीना मिश्रा पति रमन मिश्रा	अधारताल	महाराजपुर	25/5	0.380
68	रामप्रसाद वल्द अनंदा लाल	अधारताल	महाराजपुर	25/6	0.405
69	दशरथ सिंह पिता काशीराम	अधारताल	महाराजपुर	25/7	1.213
70	रामनाथ पिता शारदा प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	26/1	0.040
71	प्रहलाद पिता रामनाथ	अधारताल	महाराजपुर	26/2	1.416
72	गुड्डू उर्फ हरीलाल वल्द रामनाथ	अधारताल	महाराजपुर	26/3	1.417
73	गुड्डू उर्फ उमेश वल्द रामनाथ	अधारताल	महाराजपुर	26/4	1.417
74	रामदास अनंतराम, रघुवर प्रसाद वल्द पोलेराम, जानकीबाई, चंद्रका बाई, विमला बाई पुत्री पोलेराम	अधारताल	महाराजपुर	27/1	0.842
75	उजयारी बाई बेवा पोलेराम	अधारताल	महाराजपुर	27/2	0.202
76	अनंतकुमार वल्द पोलेराम	अधारताल	महाराजपुर	27/3	0.534
77	रघुवर प्रसाद वल्द पोलेराम	अधारताल	महाराजपुर	27/4	0.558
78	श्रवणकुमार वल्द बट्टी प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	29/2	0.127

79	जवाहर तुलसा बाई, मुन्नी बाई वल्द हीरा लाल, मंगोबाई बेवा लल्लूराम, वीरेन्द्र, मनोज, प्रमोद, सुरेन्द्र रेखा, सुभाष संदीप प्रदीप सीमा दीप्ती	अधारताल	महाराजपुर	30/1	0.151
80	नगर पालिका निगम	अधारताल	महाराजपुर	30/2	0.237
81	रामदास वल्द पोलेराम	अधारताल	महाराजपुर	31	0.552
82	बृजेश कुमार, महेश कुमार, नरेश कुमार, रोहणी पिता कुलदेव प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	32/1	0.176
83	लालसिंह ठाकुर पिता बुद्ध सिंह ठाकुर	अधारताल	महाराजपुर	32/2	0.016
84	संतोष कुमार वल्द रामप्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	32/3	0.016
85	माया पति संतोष कुमार श्रीवास्तव	अधारताल	महाराजपुर	32/4	0.016
86	अनिल कुमार वल्द नारायण कुमार श्रीवास्तव	अधारताल	महाराजपुर	32/5	0.016
87	मुकेश कुमार वल्द मुक्ता प्रसाद श्रीवास्तव	अधारताल	महाराजपुर	32/6	0.016
88	यशवंत रावजी वल्द रघुराव जी	अधारताल	महाराजपुर	32/7	0.016
89	शिवाजीराव वाघ पिता केशव राव बाघ	अधारताल	महाराजपुर	32/8	0.016
90	मनोहर लाल पिता गुटटी लाल श्रीवास्तव	अधारताल	महाराजपुर	32/9	0.016
91	विधा पति उमाशंकर	अधारताल	महाराजपुर	32/10	0.016
92	श्रीमती आशाराव पति स्व. यशवंतराव	अधारताल	महाराजपुर	32/11	0.016
93	अनुराग वल्द अवधबिहारी, मदनगोपाल, नरेश कुमार, महेश कुमार, दिनेश कुमार, इंद्रा, सौरभ, सौम, भगवानदास, यशोदा बाई एवं अन्य 3	अधारताल	महाराजपुर	34/1	0.071
94	श्रीमती कुसुम विश्वकर्मा पति रामविलास विश्वकर्मा एवं अन्य 4	अधारताल	महाराजपुर	34/3	0.051
95	दिनेश कुमार जैन पिता राजेन्द्र कुमार जैन	अधारताल	महाराजपुर	35	0.332
96	रामदास अनंतराम, रघुवर प्रसाद वल्द पोलेराम, जानकीबाई, चंद्रका बाई, विमला बाई पुत्री पोलेराम	अधारताल	महाराजपुर	36	0.709
97	नगर पालिका निगम	अधारताल	महाराजपुर	37	1.967
98	रामदास अनंतराम, रघुवर प्रसाद वल्द पोलेराम, जानकीबाई, चंद्रका बाई, विमला बाई पुत्री पोलेराम	अधारताल	महाराजपुर	38/1	0.044
99	शिवप्रसाद रैकवार, राजेश प्रसाद रैकवार पिता संपत लाल रैकवार	अधारताल	महाराजपुर	38/2	0.219
100	शशि जोजे, अंजनी कुमार पांडे	अधारताल	महाराजपुर	39/1	0.121
101	शिवकी बाई, भोग बाई, रामकुमारी वल्द नन्हूराम विनिया बाई, अलोक, अनूप, वंदना, सुमंत्रा वल्द शीतल प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	39/2	0.147
102	शंकर सिंह	अधारताल	महाराजपुर	41/1	0.142
103	दशरथ सिंह पिता काशीराम	अधारताल	महाराजपुर	41/2	0.144
104	अनूप कुमार दुबे	अधारताल	महाराजपुर	42/1/1	0.445
105	भूपेन्द्र दुबे	अधारताल	महाराजपुर	42/1/2	0.340

106	महेन्द्र दुबे	अधारताल	महाराजपुर	42/1/3	0.340
107	अनूप कुमार दुबे	अधारताल	महाराजपुर	43/1/1	0.234
108	विजयकांत दुबे	अधारताल	महाराजपुर	43/1/2	0.679
109	श्रीमती मीना खत्री	अधारताल	महाराजपुर	43/2	0.405
110	कांता खत्री	अधारताल	महाराजपुर	43/3	0.809
111	श्रीमती सुनीता राय	अधारताल	महाराजपुर	43/5	0.41
112	श्रीमती अनीता राय	अधारताल	महाराजपुर	43/6	0.39
113	दिलीप कुमार गांगोली	अधारताल	महाराजपुर	44/2	0.026
114	रोमित पांडे	अधारताल	महाराजपुर	44/4	0.016
115	रोमित पांडे	अधारताल	महाराजपुर	44/5/1/1	0.587
116	रोमित पांडे	अधारताल	महाराजपुर	44/5/1/2	0.030
117	रोमित पांडे	अधारताल	महाराजपुर	44/5/2	0.150
118	दिलीप कुमार गांगोली	अधारताल	महाराजपुर	44/6	0.086
119	राजेन्द्र पटेल पिता हरप्रसाद पटेल	अधारताल	महाराजपुर	59/1	1.654
120	राजेन्द्र पटेल पिता हरप्रसाद पटेल	अधारताल	महाराजपुर	59/2	1.654
121	मनोज कुमार पटेल पिता हरप्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	59/3/1	0.940
122	राजेन्द्र पिता हरप्रसाद पटेल	अधारताल	महाराजपुर	59/3/2	0.713
123	मे. सिद्धार्थ रियालटी राईट टाउन, दिलीप कटारिया	अधारताल	महाराजपुर	69	0.490
124	शांति बाई बेवा संपत लाल रैकवार शिवप्रसाद, शारदा प्रसाद, अशोक कुमार	अधारताल	महाराजपुर	70/1	0.415
125	हरीश कुमार होतवानी पिता ए.के. होतवानी	अधारताल	महाराजपुर	70/2	0.200
126	नगर पालिका निगम	अधारताल	महाराजपुर	72	0.486
127	लक्ष्मन वल्द दयाराम	अधारताल	महाराजपुर	75/1	0.507
128	शांति बाई जोजे संपत लाल	अधारताल	महाराजपुर	75/2	0.405
129	श्रीमती मंजू मिश्रा पति वीरेन्द्र मिश्रा	अधारताल	महाराजपुर	75/3	0.800
130	भैरों प्रसाद वल्द रामसहाय	अधारताल	महाराजपुर	77	1.072
131	अनुराग वल्द अवधबिहारी, मदनगोपाल, नरेश कुमार, महेश कुमार, दिनेश कुमार, इंद्रा, सौरभ, सौम, भगवानदास, यशोदा बाई एवं अन्य 3	अधारताल	महाराजपुर	78/1	0.826
132	अनुराग वल्द अवधबिहारी, मदनगोपाल, नरेश कुमार, महेश कुमार, दिनेश कुमार, इंद्रा, सौरभ, सौम, भगवानदास, यशोदा बाई एवं अन्य 3	अधारताल	महाराजपुर	79/1	0.237
133	मुइनुद्दीन अंसारी पिता महमूद अहमद अंसारी	अधारताल	महाराजपुर	79/3	0.081
134	शंकर लाल पिता पंचम लाल	अधारताल	महाराजपुर	80/1	0.040
135	गोविंद प्रसाद पिता अनंदी लाल तिवारी एवं अन्य 2	अधारताल	महाराजपुर	80/2	0.405
136	लाडली बाई पिता स्व. रघुनाथ प्रसाद चंद्रशेखर, उमेश कुमार देवेन्द्र	अधारताल	महाराजपुर	82/1/1	0.656
137	भैरों प्रसाद वल्द रामसहाय	अधारताल	महाराजपुर	82/1/2	0.655

138	गजराज पंचम, झब्बू वल्द पूरन लाल	अधारताल	महाराजपुर	83/1	0.272
139	नारायण प्रसाद पिता दयाराम	अधारताल	महाराजपुर	84/1	0.350
140	अरूण कुमार पिता महेश प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	84/2	0.350
141	राजेश कुमार पटेल पिता रेवती प्रसाद पटेल	अधारताल	महाराजपुर	85/1	1.165
142	गंगा राम पटेल पिता शंकर लाल पटेल	अधारताल	महाराजपुर	85/2	0.405
143	श्रीमती रमा पटेल पति गनपत पटेल	अधारताल	महाराजपुर	85/3	0.405
144	रामराज पिता शंकर लाल	अधारताल	महाराजपुर	86	0.405
145	रामकुमार पटेल पिता शंकर लाल	अधारताल	महाराजपुर	87/1	0.531
146	रामराज पिता शंकर लाल	अधारताल	महाराजपुर	87/2	0.117
147	उमेश कुमार पटेल पिता गनपत कुमार पटेल	अधारताल	महाराजपुर	87/3	0.117
148	गंगा राम पटेल पिता शंकर लाल पटेल	अधारताल	महाराजपुर	87/4	0.117
149	मथुरा प्रसाद पिता संतलाल	अधारताल	महाराजपुर	89/2	0.149
150	तेजीलाल वल्द प्यारे लाल	अधारताल	महाराजपुर	90/2	0.202
151	प्रेमलाल पिता प्यारेलाल चौधरी	अधारताल	महाराजपुर	90/3	0.202
152	रीनाराय पति अमित राय	अधारताल	महाराजपुर	90/4	0.304
153	आशारानी बेवा रतनचंद शरद अनिल पवन वल्द रतनचंद	अधारताल	महाराजपुर	92	4.820
154	कंछेदी लाल पिता पलदूराम	अधारताल	महाराजपुर	93/1	0.813
155	श्रीमती सरोज बाई पति स्व. ओंकार प्रसाद जीतेन्द्र दीपक वल्द ओंकार प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	93/3	0.729
156	वीरेन्द्र सिंह वल्द दमडी लाल	अधारताल	महाराजपुर	93/5	0.733
157	सोनीलाल वल्द वंशीलाल	अधारताल	महाराजपुर	93/6	0.809
158	ब्रजेश कुमार महेश कुमार नरेश कुमार रोहणी सोहनी वल्द कुलदेव प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	94	0.154
159	लाड़ली बाई पिता स्व. रघुनाथ प्रसाद चंद्रशेखर, उमेश कुमार देवेन्द्र एवं अन्य 3	अधारताल	महाराजपुर	95/1	0.154
160	ब्रजेश कुमार महेश कुमार नरेश कुमार रोहणी सोहनी वल्द कुलदेव प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	96	0.158
161	रज्जू सिंह वल्द दत्तू सिंह	अधारताल	महाराजपुर	97	0.243
162	भैरों प्रसाद वल्द रामसहाय	अधारताल	महाराजपुर	99/1	2.162
163	श्रीमती इंद्रा जेसवानी पति बलराम जेसवानी	अधारताल	महाराजपुर	99/2	1.200
164	गनपत कुमार रामकुमार गंगा राम पिता शंकर लाल, उमेश कुमार पटेल	अधारताल	महाराजपुर	100/1	1.416
165	डेलन सिंह पिता दयाराम	अधारताल	महाराजपुर	101/1	2.155
166	तुलसी राम दत्तक पुत्र वल्द इंद्रधीर मिश्रा	अधारताल	महाराजपुर	101/2	0.035
167	टंटो बाई जोजे रेवती प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	101/3	1.744
168	तुलसी राम वल्द इंद्रधीर मिश्रा	अधारताल	महाराजपुर	101/4	1.435
169	बलराम जेसवानी वल्द गुरुबक्श राय	अधारताल	महाराजपुर	101/5	0.960

170	अनुराग वल्द अवधबिहारी, मदनगोपाल, नरेश कुमार, महेश कुमार, दिनेश कुमार, इंद्रा, सौरभ, सौम, भगवानदास, यशोदा बाई एवं अन्य 3	अधारताल	महाराजपुर	102/1	0.162
171	जागेश्वर प्रसाद पिता स्व. गया प्रसाद सैन, रामेश्वर प्रसाद राजेन्द्र सैन	अधारताल	महाराजपुर	103/1	0.202
172	जागेश्वर प्रसाद पिता गया स्व. प्रसाद सैन, रामेश्वर प्रसाद राजेन्द्र सैन	अधारताल	महाराजपुर	103/2	0.203
173	ज्ञानचंद जैन पिता स्व. जीवनलाल जैन	अधारताल	महाराजपुर	104/1	1.416
174	ज्ञानचंद जैन पिता स्व. जीवनलाल जैन	अधारताल	महाराजपुर	104/2	0.809
175	हिमिया बाई पति हरचरण सेवा राम राममिलन नारायण सुनीता पिता हरचरण	अधारताल	महाराजपुर	105/1	0.485
176	विनोद लटोरीलाल पिता आनंदीलाल चौधरी	अधारताल	महाराजपुर	105/2	0.300
177	प्रेमलाल पिता प्यारेलाल चौधरी	अधारताल	महाराजपुर	105/3	0.486
178	मो. शहजाद नूर मो. पिता स्व. श्री निशार अहमद एवं अन्य 32	अधारताल	महाराजपुर	106/2	0.700
179	सुरेन्द्र पिता मोतीलाल झारिया	अधारताल	महाराजपुर	106/4/1	0.202
180	वीरेन्द्र पिता मोतीलाल झारिया	अधारताल	महाराजपुर	106/4/2	0.202
181	शैलेन्द्र सत्येन्द्र कविता पिता राजेन्द्र झारिया	अधारताल	महाराजपुर	106/4/3	0.203
182	उमा पिता मोतीलाल झारिया	अधारताल	महाराजपुर	106/4/4	0.202
183	अभिषेक बाजपेयी पिता रमेश कुमार बाजपेयी, स्मृति बाजपेयी	अधारताल	महाराजपुर	107/1	0.284
184	आलोक तिवारी पिता स्व. पं. ओंकार प्रसाद तिवारी	अधारताल	महाराजपुर	107/2	0.320
185	गुलफाम अंसारी पिता स्व. अबदुल रहीम अंसारी, अनिशा बानो	अधारताल	महाराजपुर	107/3	0.284
186	आशा दुबे पिता स्व. श्री नरेन्द्र दुबे विशाल दुबे पिता स्व. श्री नरेन्द्र दुबे	अधारताल	महाराजपुर	107/4	0.285
187	भागचंद पिता हीरालाल साहू	अधारताल	महाराजपुर	108	2.063
188	समुंद्री बाई पटेल पति स्व. रामनाथ एवं अन्य 14	अधारताल	महाराजपुर	109/1	0.194
189	रजनी महौर पति श्री रोहित महौर एवं अन्य 55	अधारताल	महाराजपुर	109/2	1.308
190	राकेश कुमार त्रिपाठी पिता मथुरा प्रसाद त्रिपाठी	अधारताल	महाराजपुर	109/3	0.010
191	प्रीती पाठक पति अविनाश पाठक	अधारताल	महाराजपुर	109/4	0.010
192	राजेश श्रीवास्तव वल्द एम.पी. श्रीवास्तव	अधारताल	महाराजपुर	109/5	0.010
193	भीमसेन पटेल पिता बेनी प्रसाद पटेल	अधारताल	महाराजपुर	109/6	0.010
194	बलराम तिवारी पिता लक्ष्मण प्रसाद तिवारी	अधारताल	महाराजपुर	109/7	0.010
195	उर्मिला करोसिया पति स्व. लक्ष्मीनारायण करोसिया, अखिलेश करोसिया	अधारताल	महाराजपुर	109/8	0.010
196	रवीन्द्र चतुर्वेदी पिता सुरेश कुमार चतुर्वेदी	अधारताल	महाराजपुर	109/9	0.010
197	रानू पटेल पति रमाकांत पटेल	अधारताल	महाराजपुर	109/10	0.020
198	नीरज बादल पिता शिवकुमार बादल	अधारताल	महाराजपुर	109/11	0.020

199	रामगोपाल पटेल पिता कुंवर लाल पटेल	अधारताल	महाराजपुर	109/12	0.030
200	कविता पटेल पति दीपक पटेल	अधारताल	महाराजपुर	109/13	0.020
201	अनुज अहवासी पिता शांतिलाल	अधारताल	महाराजपुर	109/14	0.010
202	जितेन्द्र कुमार वल्द सुरेश पंडित	अधारताल	महाराजपुर	109/15	0.010
203	ओमप्रकाश यादव पिता लल्लू यादव	अधारताल	महाराजपुर	109/16	0.010
204	अनिल पाराशर पिता छिमाधर पाराशर	अधारताल	महाराजपुर	109/17	0.010
205	सुनील राय पिता जमुना प्रसाद राय	अधारताल	महाराजपुर	109/18	0.010
206	राजेश कुमार राठौर पिता स्व. ए.एल. राठौर, किरण राठौर	अधारताल	महाराजपुर	109/19	0.010
207	सत्यप्रकाश केशरवानी पिता नर्मदा प्रसाद केशरवानी	अधारताल	महाराजपुर	109/20	0.010
208	संतलाल दुर्गाप्रसाद मुन्नालाल भगवानदास वल्द रिखिराम	अधारताल	महाराजपुर	114/1	0.300
209	नगर पालिका निगम	अधारताल	महाराजपुर	115	3.237
210	बलजीत सिंह पिता दमडी लाल	अधारताल	महाराजपुर	190/2	0.036
211	हीराबाई बेवा किशन सिंह, अशीष अभिजीत नीतू पूनम वल्द किशन सिंह	अधारताल	महाराजपुर	190/3	0.024
212	भारतलाल, विमलेश, चुम्टी बाई पिता स्व. बाबूलाल कोल	अधारताल	महाराजपुर	190/4, 190/5	0.121
213	राजेश वल्द गोविंद प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	191/1	1.123
214	राजेश प्रसाद वल्द गोविंद प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	191/2	1.588
215	प्रियंका तिवारी पति रिकू तिवारी एवं अन्य 16	अधारताल	महाराजपुर	200/1	0.150
216	प्रियंका तिवारी पति रिकू तिवारी एवं अन्य 22	अधारताल	महाराजपुर	200/2	0.340
217	रामसेवक पिता स्व. शिवदास एवं अन्य 70	अधारताल	महाराजपुर	207	0.798
218	ब्रजेश कुमार महेश कुमार नरेश कुमार रोहणी सोहनी वल्द कुलदेव प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	218/1	0.053
219	राधेश्याम वल्द बट्टी प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	218/2	0.052
220	गोदावरी बाई बेवा शंकर दत्त	अधारताल	महाराजपुर	219	0.109
221	ब्रजेश कुमार महेश कुमार नरेश कुमार रोहणी सोहनी वल्द कुलदेव प्रसाद	अधारताल	महाराजपुर	220	0.081
222	अजय सिंह अमोद सिंह विनोद सिंह पिता विजय सिंह किरन सुमन मिथिलेश ठाकुर पुत्री विजय सिं	अधारताल	महाराजपुर	251	0.089
223	भूरी बाई बेवा शंकर लाल रामकुमार सियाबाई वल्द शंकर लाल	अधारताल	महाराजपुर	252/1	0.101
224	गौराबाई बेवा नोनेलाल चंद्रप्रकाश कैलाश मैनाबाई गीताबाई रूपवती बाई पटेल पिता नोनेलाल पटेल	अधारताल	महाराजपुर	252/2	0.353
225	बिटटन बाई पति रामशंकर एवं अन्य 4	अधारताल	महाराजपुर	253/1	0.072
226	राजेश पिल्ले वल्द आर.एन.पिल्ले	अधारताल	महाराजपुर	253/3	0.291
227	भगवान शर्मा वल्द रामधारी सिंह	अधारताल	महाराजपुर	253/4	0.018

228	नगर पालिका निगम	अधारताल	महाराजपुर	253/6	0.255
229	श्रीमती राजकुमारी विश्वकर्मा पति कृष्ण कुमार, लक्ष्मीकांत गुप्ता	अधारताल	महाराजपुर	253/7	0.029
230	वीरेन्द्र कुमार यादव पिता वृदावन यादव	अधारताल	महाराजपुर	253/8	0.011
231	श्रीमती राजकुमारी जयसवाल पति राजेन्द्र कुमार जयसवाल	अधारताल	महाराजपुर	253/9	0.007
232	श्रीमती राजकुमारी जयसवाल पति राजेन्द्र कुमार जयसवाल	अधारताल	महाराजपुर	253/10	0.007
233	श्रीमती राजकुमारी जयसवाल पति राजेन्द्र कुमार जयसवाल	अधारताल	महाराजपुर	253/11	0.007
234	संजय सिंह पिता हरीसिंह लोधी	अधारताल	महाराजपुर	253/12	0.011
235	श्रीमती सरिता सिंह पति अरुण प्रताप सिंह	अधारताल	महाराजपुर	253/13	0.015
236	श्रीमती तेतरी देवी पति महेन्द्र शर्मा	अधारताल	महाराजपुर	253/14	0.016
237	अवनेश प्रसाद पिता बाबूलाल	अधारताल	महाराजपुर	253/15	0.011
238	भूरीबाई बेबा शंकरलाल रामकुमार सियाबाई वल्द शंकरलाल एवं 70 अन्य	अधारताल	महाराजपुर	254/1/1 से 254/71 तक	6.330
239	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	7	1.481
240	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	9	0.486
241	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	10	0.109
242	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	15/6	0.864
243	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	16	0.607
244	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	17	1.080
245	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	18/2	0.466
246	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	19/2	0.973
247	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	25/2	2.023
248	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	28/1	0.313
249	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	28/2	0.101
250	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	28/3	0.101
251	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	28/4	0.101
252	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	28/5	0.023
253	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	29/1	0.142
254	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	33	0.336
255	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	34/2	0.121
256	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	39/3	1.388
257	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	39/4	1.565
258	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	41/3	1.733
259	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	41/4	1.736
260	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	60	0.142
261	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	67/2	0.148

262	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	68	0.065
263	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	71	0.024
264	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	73	0.040
265	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	74	0.571
266	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	76	0.809
267	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	78/2	0.836
268	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	79/2	0.318
269	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	81	0.470
270	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	82/2	0.263
271	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	83/2	0.190
272	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	88	0.429
273	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	89/1	0.909
274	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	89/3	0.759
275	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	91	0.308
276	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	93/2	0.739
277	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	93/4	0.809
278	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	95/2	0.184
279	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	98/1	0.468
280	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	98/2	0.469
281	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	100/2	0.328
282	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	102/2	0.162
283	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	105/4	0.186
284	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	106/1	1.012
285	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	106/3	0.405
286	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	106/5	0.202
287	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	106/6	0.307
288	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	114/2	1.226
289	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	217	0.142
290	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	221	0.947
291	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	253/2	1.744
292	शासकीय	अधारताल	महाराजपुर	262 मे से	0.200
293	श्रीमती शशि पति अंजनी पांडे	अधारताल	खैरी	163/1	0.920
294	बचई लाल पिता खुडमुड पाल	अधारताल	खैरी	164/1	0.320
295	प्रकाश पिता जयराम एवं अन्य 22	अधारताल	खैरी	165/1	0.150
296	मो. जुबेर आलम वल्द अब्दुल हाबिद एवं अन्य 4	अधारताल	खैरी	165/3	0.040
297	राकेश कुमार पटैल पिता रामकरण पटैल	अधारताल	खैरी	165/4	0.010
298	श्रीमती शशि पति अंजनी पांडे	अधारताल	खैरी	165/5	0.730
299	विष्णु प्रसाद चौधरी पिता रतीराम चौधरी	अधारताल	खैरी	165/6	0.010

300	श्रीमती मीना उर्फ मीनाक्षी पति लख्मीचंद्र बदलानी	अधारताल	खैरी	165/7	0.010
301	अभिषेक पटेल विजय कुमार पटेल	अधारताल	खैरी	165/8	0.010
302	श्यामलता अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल	अधारताल	खैरी	165/9	0.020
303	नीलेश अग्रवाल पिता विजय अग्रवाल	अधारताल	खैरी	165/10	0.010
304	विमला देवी पति वीरेन्द्र सिंह	अधारताल	खैरी	165/11	0.010
305	दिनेश कुमार उपाध्याय पिता शिवकुमार उपाध्याय	अधारताल	खैरी	165/12	0.010
306	चमन बाघरी पिता शांति लाल बाघरी	अधारताल	खैरी	165/13	0.010
307	श्रीमती टीना बाघरी पति चमन बाघरी	अधारताल	खैरी	165/14	0.010
308	अनिल नावलेकर पिता एस.के. नावलेकर, श्यामलता अग्रवाल	अधारताल	खैरी	167/1	0.020
309	आत्पेश गर्ग पिता गोपाल दत्त गर्ग	अधारताल	खैरी	167/3	0.120
310	विवेक तिवारी पिता तहसीलदार तिवारी	अधारताल	खैरी	167/4	0.020
311	गोटीराम वल्द टीकाराम मेहरा	अधारताल	खैरी	169	0.370
312	रामबाई बेवा बेनी प्रसाद	अधारताल	खैरी	170/1	0.150
313	शासकीय	अधारताल	खैरी	167/2	0.660
314	शासकीय	अधारताल	खैरी	170/2	0.090
315	प्रमोद कुमार वल्द कुंजीलाल तिवारी	पनागर	हथना	235/1	0.650
316	ज्ञानचंद जैन पिता जीनवनलाल जैन	पनागर	हथना	235/2	0.600
317	संध्या किरण जोजे भागचंद	पनागर	हथना	235/3	0.300
318	प्रमोद कुमार वल्द कुंजीलाल तिवारी	पनागर	हथना	235/4	0.350
319	अर्चना तिवारी पति स्व. शरद तिवारी, वैभव तिवारी	पनागर	हथना	235/5	0.090
320	प्रमिला पति प्रमोद कुमार	पनागर	हथना	236/1	0.440
321	मायाबाई पति ज्ञानचंद जैन, भागचंद जैन	पनागर	हथना	236/2	0.850
322	संध्या किरण जोजे भागचंद	पनागर	हथना	236/3	0.300
323	प्रदीप कुमार पिता कुंजबिहारी तिवारी	पनागर	हथना	236/4	0.200
324	प्रमोद कुमार वल्द कुंजीलाल तिवारी	पनागर	हथना	236/5	0.200
325	बचई लाल वल्द खुडगूपाल	पनागर	हथना	237/1	1.060
326	राधेश्याम चौबे पिता बंदी प्रसाद	पनागर	हथना	237/2	0.150
327	सुरेन्द्र पिता बाबूलाल शर्मा	पनागर	हथना	237/3	0.100
328	अनारो देवी बेवा ओंकार प्रसाद अनिल तिवारी आलोक तिवारी अनूप तिवारी वल्द स्व. ओंकार प्रसाद, सुनीता, अमित, सचिन वल्द जयकुमार जैन	पनागर	हथना	237/4	0.110
329	कृपा शंकर वल्द जे.एस. शर्मा मुकेश चंद वल्द आर.सी. शर्मा राजेन्द्र कुमार वल्द एस.एस. दुबे	पनागर	हथना	237/5	0.190
330	रघुवरपाल पिता बचई लाल	पनागर	हथना	237/6	0.080
331	भगवानदास वल्द बाबूलाल पांडे	पनागर	हथना	237/17	0.030
332	रघुवर वल्द बचई पाल	पनागर	हथना	238/1	1.370
333	रामराज वल्द गडरिया वल्द रामनाथपाल	पनागर	हथना	238/2	0.030
334	हरीलाल वल्द भाईलाल कुशवाहा	पनागर	हथना	238/3	0.020
335	श्रीमती अनारो देवी तिवारी पति स्व. श्री ओंकार प्रसाद तिवारी, अनिल तिवारी, आलोक तिवारी अमित तिवारी, अमित जैन, सचिन जैन,	पनागर	हथना	238/4, 238/1	0.160
				कुल	179.825

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना, नहीं करेगा।

प्रशांत श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, छिदामीलाल चौधरी पिता स्व. श्री विसराम चौधरी, वर्तमान निवासी-मंदिर हसोद, एफ.सी.आई. रायपुर (छ.ग.) एवं स्थायी निवासी-म. नं. 2363, गली नं. 3, हलवाई बादशाह मंदिर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर (म. प्र.) मैं, भारतीय खाद्य निगम रायपुर में बतौर हेडलिंग लेबर के पद पर कार्यरत हूँ. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश छिदामी राम चौधरी दर्ज हो गया है जो कि असत्य एवं गलत है. मेरे समस्त दस्तावेजों में आधारकार्ड, पेनकार्ड, वोटरकार्ड आदि में मेरा नाम छिदामी लाल चौधरी दर्ज है जो कि सत्य एवं सही है. मेरा सही नाम भारतीय खाद्य निगम के सर्विस रिकार्ड में सुधारकर छिदामी लाल चौधरी किया जावे.

पुराना नाम :

(छिदामी राम चौधरी)

(G-863)

नया नाम :

(छिदामी लाल चौधरी)**नाम परिवर्तन**

पूर्व में मेरा नाम संतोषी शर्मा (Santoshi Sharma) D/o राकेश शर्मा, निवासी-187, फेस-1, किरण नगर, पिपलानी, भोपाल अब परिवर्तित होकर मेरा नाम गार्गी शर्मा (Gargee Sharma) हो गया है.

अतः अब भविष्य में मुझे गार्गी शर्मा (Gargee Sharma) के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(संतोषी शर्मा)
(Santoshi Sharma)

(G-864)

नया नाम :

(गार्गी शर्मा)
(Gargee Sharma)**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक में मेरा नाम सुमत कुमार दुबे अंकित है एवं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सुमत कुमार दर्ज है, ये दोनों नाम मेरे स्वयं के एक व्यक्ति के नाम हैं. अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्ध शासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम सुमत कुमार के स्थान पर सुमत कुमार दुबे नाम से जाना, पहचाना, लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(सुमत कुमार)

(G-865)

नया नाम :

(सुमत कुमार दुबे)
छटवीं वाहिनी वि.स. बल एस.ए.एफ.
जबलपुर ब्लॉक नं. 48, क्वार्टर नं. 38
फैमली लाईन 6वीं रांड़ी, जबलपुर.**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बलराम मराठे आ. श्री नारायण वानी, आयु 50 वर्ष, निवासी-570, अन्ना नगर झुग्गियां, पुलिया के पास, भोपाल, म. प्र. का निवासी हूँ. पूर्व में मुझे बालकृष्ण वानी पिता श्री नारायण वानी के नाम से जाना, पहचाना जाता था तथा मैं मेरा नाम बालकृष्ण वानी लिखता था. अब वर्तमान में मैं, बलराम मराठे आ. श्री नारायण वानी के नाम से जाना, पहचाना जाता हूँ. मेरे विभिन्न शासकीय व अशासकीय में मेरा नाम बलराम मराठे लिखा है तथा मुझे सभी लोग बलराम मराठे के नाम से जानते, पहचानते हैं. मेरा परिवर्तित नाम बलराम मराठे पिता श्री नारायण वानी पढ़ा, लिखा एवं मान्य किया जावे.

पुराना नाम :

(बालकृष्ण वानी पिता श्री नारायण वानी)

(G-866)

नया नाम :

(बलराम मराठे आ. श्री नारायण वानी)
निवासी-570, अन्ना नगर झुग्गियां,
पुलिया के पास, भोपाल, म. प्र.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक में मेरा नाम राजेंद्र श्रीवास अंकित है एवं मेरे सर्विस रिकार्ड में राजेंद्र प्रसाद दर्ज है, ये दोनों नाम मेरे स्वयं के एक व्यक्ति के नाम हैं। अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्ध शासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद के स्थान पर राजेंद्र श्रीवास के नाम से जाना, पहचाना, लिखा-पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(राजेंद्र प्रसाद)

(G-867)

नया नाम :

(राजेंद्र श्रीवास)

म. नं. 1367, पंजाबी मोहल्ला,
रांझी, जबलपुर, म. प्र.**उप नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम रामप्रसाद बेलिया पिता श्री किशनलाल बेलिया (जो कि मेरा गौत्र अनुसार उपनाम था) जो कि मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं पेन कार्ड में दर्ज है, जबकि अब मैंने अपना नाम बदलकर रामप्रसाद सिंह तोमर पिता श्री किशनलाल सिंह तोमर (RAMPRASAD SINGH TOMAR S/o KISHANLAL SINGH TOMAR) रख लिया है जो कि उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रामप्रसाद सिंह तोमर पिता श्री किशनलाल सिंह तोमर के नाम से जाना, पहचाना, लिखा-पढ़ा जावे। सो विदित हो।

पुराना नाम :

(रामप्रसाद बेलिया)

(G-868)

नया नाम :

(रामप्रसाद सिंह तोमर)

निवासी-264, स्टील फर्नीचर फैक्ट्री के पास
राजाराम नगर, इंदौर म. प्र.**नाम परिवर्तन**

मैं, आशीष कुमार पटेल पिता श्री उत्तम सिंह पटेल, आयु 30 वर्ष, निवासी-मकान नं. 455, ग्राम गौंडी गुराडिया, तहसील व पोस्ट रेहटी, जिला सीहोर, म. प्र. का निवासी हूँ। महोदय मेरी कक्षा 10 वीं की अंकसूची में मेरा नाम आशीष दर्ज है एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में आशीष कुमार पटेल दर्ज है जो कि मेरा पूर्ण सही नाम है अतः मुझे आशीष कुमार पटेल के नाम से जाना, पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(आशीष)

(G-869)

नया नाम :

(आशीष कुमार पटेल)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स बालाचन्द्र स्टोन इण्डस्ट्री जो -79 ग्राम कुतवार, कोलारस, शिवपुरी में स्थित है जिसका पंजीयन क्र. 02/41/08/0321/21, दिनांक 18-02-2021 है, जिसमें दिनांक 07-12-2021 को भागीदार 1. श्रीमती कुंजा आदिवासी पत्नि श्री होतम आदिवासी, निवासी-79 बदरवास, कोलारस, शिवपुरी, 2. श्रीमती गुडडी पत्नि श्री रमेश आदिवासी, निवासी कराहल, जिला श्योपुर, 3. श्रीमती सुमन पत्नि श्री सोमत आदिवासी, निवासी कराहल, जिला श्योपुर, 4. श्रीमती भारती पत्नि श्री रामकिशोर, निवासी कराहल, जिला श्योपुर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 07-12-2021 से 1. श्रीमती नीना निगम पत्नि श्री चन्द्रकांत निगम, निवासी जलमंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, 2. श्रीमती धिशी आदिवासी पत्नि स्व. श्री रामचंद्र आदिवासी निवासी-ग्राम धामनटूक, शिवपुरी, 3. श्रीमती बादामी आदिवासी पत्नि स्व. श्री लालाराम आदिवासी, निवासी ग्राम बाहगां, शिवपुरी, 4. श्रीमती कला आदिवासी पत्नि स्व. श्री मुरली आदिवासी निवासी ग्राम ढकरोरा, शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 07-12-2021 से फर्म का मुख्यालय 79 ग्राम कुतवार कोलारस, शिवपुरी से परिवर्तित कर नवीन स्थल 64, जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, मध्यप्रदेश हो गया है। आम एवं सर्वजन सूचित हो।

नीना निगम

(भागीदार)

जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक,
शिवपुरी, मध्यप्रदेश।

(G-870)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स लम्बोदर स्टोन इण्डस्ट्री जो -01 ग्राम खिरखिरी, कराहल, श्योपुर में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/45/03/0328/21, दिनांक 18-02-2021 है, जिसमें दिनांक 07-12-2021 को भागीदार 1. श्रीमती जानकी पत्नि श्री संजय, निवासी-ग्राम खिरखिरी, श्योपुर, 2. श्रीमती सिया पत्नि श्री सुखलाल, निवासी-ग्राम खिरखिरी, श्योपुर, 3. श्रीमती सुमन पत्नि श्री सोमत, निवासी ग्राम कराहल, श्योपुर, 4. श्रीमती मनीषा आदिवासी पत्नि श्री कन्हैया आदिवासी, निवासी कराहल, जिला श्योपुर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 07-12-2021 से 1. श्रीमती नीना निगम पत्नि श्री चन्द्रकांत निगम, निवासी जलमंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, 2. श्रीमती कोसाबाई आदिवासी पत्नि स्व. श्री गगाराम आदिवासी, निवासी-ग्राम धामनटूक, शिवपुरी, 3. श्रीमती रामदेहाली आदिवासी पत्नि स्व. श्री रामरतन आदिवासी, निवासी-ग्राम धामनटूक, शिवपुरी, 4. श्रीमती भग्गो आदिवासी पत्नि स्व. श्री परीकचत आदिवासी निवासी ग्राम ढकरोरा, शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 07-12-2021 से फर्म का मुख्यालय 01 ग्राम खिरखिरी, कराहल, श्योपुर से परिवर्तित कर नवीन स्थल 64, जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, मध्यप्रदेश हो गया है. आम एवं सर्वजन सूचित हो.

नीना निगम

(भागीदार)

जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक,
शिवपुरी, मध्यप्रदेश.

(G-871)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स विनायक स्टोन इण्डस्ट्री जो -216, ग्राम कनारखेड़ा, कराहल, श्योपुर में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/45/03/0323/21, दिनांक 18-02-2021 है, जिसमें दिनांक 07-12-2021 को भागीदार 1. श्रीमती मुन्नी आदिवासी पत्नि श्री सुनील गोयल, निवासी-ग्राम कनारखेड़ा, कराहल, श्योपुर, 2. श्रीमती सीता आदिवासी पत्नि श्री पहलवान, निवासी-कुतवार, शिवपुरी, 3. श्रीमती गुड्डी पत्नि श्री रामजीला, निवासी कराहल, जिला श्योपुर, 4. श्रीमती होरीलाल पत्नि श्री लाखन सहरिया, निवासी कराहल, जिला श्योपुर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 07-12-2021 से 1. श्रीमती नीना निगम पत्नि श्री चन्द्रकांत निगम, निवासी जलमंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, 2. श्रीमती घिसी आदिवासी पत्नि स्व. श्री रामचंद आदिवासी निवासी-ग्राम धामनटूक, शिवपुरी, 3. श्रीमती रामदेहाली आदिवासी पत्नि स्व. श्री रामरतन आदिवासी, निवासी-ग्राम धामनटूक, शिवपुरी, 4. श्रीमती सुशीला आदिवासी पत्नि स्व. श्री प्रमोद आदिवासी निवासी-ग्राम धामनटूक, शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 07-12-2021 से फर्म का मुख्यालय 216, ग्राम कनारखेड़ा, कराहल, श्योपुर से परिवर्तित कर नवीन स्थल 64, जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, मध्यप्रदेश हो गया है. आम एवं सर्वजन सूचित हो.

नीना निगम

(भागीदार)

जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक,
शिवपुरी, मध्यप्रदेश.

(G-872)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स विकत स्टोन इण्डस्ट्री जो -48, ग्राम खिरखिरी, कराहल, श्योपुर में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/45/01/0329/21, दिनांक 18-02-2021 है, जिसमें दिनांक 07-12-2021 को भागीदार 1. श्रीमती सिया पत्नि श्री सुखलाल, निवासी-ग्राम खिरखिरी, कराहल, श्योपुर, 2. श्रीमती रामप्यारी आदिवासी पत्नि श्री भूरा, निवासी-कुतवार, बदरवास, शिवपुरी, 3. श्रीमती रामकुवंर पत्नि श्री पहलवान, निवासी-कुतवार, जिला शिवपुरी, 4. श्रीमती कश्मीरा पत्नि श्री रामदास आदिवासी, निवासी कराहल, जिला श्योपुर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 07-12-2021 से 1. श्रीमती नीना निगम पत्नि श्री चन्द्रकांत निगम, निवासी जलमंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, 2. श्रीमती भग्गो आदिवासी पत्नि स्व. श्री रमेश आदिवासी निवासी-ग्राम धामनटूक, शिवपुरी, 3. श्रीमती बादामी आदिवासी पत्नि स्व. श्री लालाराम आदिवासी, निवासी ग्राम बाहगां, शिवपुरी, 4. श्रीमती विमला आदिवासी पत्नि स्व. श्री राधे आदिवासी, निवासी ग्राम बांहगा, शिवपुरी, फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 07-12-2021 से फर्म का

मुख्यालय 48, ग्राम खिरखिरी, कराहल, श्योपुर से परिवर्तित कर नवीन स्थल 64, जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, मध्यप्रदेश हो गया है. आम एवं सर्वजन सूचित हो.

नीना निगम

(भागीदार)

जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक,
शिवपुरी, मध्यप्रदेश.

(G-873)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सुमुख स्टोन इण्डस्ट्री जो -01, ग्राम कराहल, श्योपुर में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/45/03/0325/21, दिनांक 18-02-2021 है, जिसमें दिनांक 07-12-2021 को भागीदार 1. श्रीमती नारायणी पत्नि श्री गज्जू निवासी-ग्राम कराहल, श्योपुर, 2. श्रीमती रामप्यारी आदिवासी पत्नि श्री भूरा आदिवासी, निवासी-ग्राम कुतवार, शिवपुरी, 3. श्रीमती निर्मला पत्नि श्री राकेश, निवासी-ग्राम कराहल, श्योपुर, 4. श्रीमती भारती पत्नि श्री रामकिशोर आदिवासी, निवासी कराहल, जिला श्योपुर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 07-12-2021 से 1. श्रीमती नीना निगम पत्नि श्री चन्द्रकांत निगम, निवासी जलमंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, 2. श्रीमती कला आदिवासी पत्नि स्व. श्री मुरली आदिवासी निवासी-ग्राम ढकरोरा, शिवपुरी, 3. श्रीमती रामदेहाली आदिवासी पत्नि स्व. श्री रामरतन आदिवासी, निवासी-ग्राम धामनटूक, शिवपुरी, 4. श्रीमती विमला आदिवासी पत्नि स्व. श्री राधे आदिवासी, निवासी ग्राम बांहगा, शिवपुरी, फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 07-12-2021 से फर्म का मुख्यालय 01, ग्राम कराहल, श्योपुर से परिवर्तित कर नवीन स्थल 64, जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, मध्यप्रदेश हो गया है. आम एवं सर्वजन सूचित हो.

नीना निगम

(भागीदार)

जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक,
शिवपुरी, मध्यप्रदेश.

(G-874)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स एकदन्त स्टोन इण्डस्ट्री जो -1243, ग्राम कराहल, श्योपुर में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/45/03/0322/21, दिनांक 18-02-2021 है, जिसमें दिनांक 07-12-2021 को भागीदार 1. श्रीमती आरती पत्नि श्री रामनिवास, ग्राम कराहल, श्योपुर, 2. श्रीमती कुंजा आदिवासी पत्नि श्री होतम आदिवासी, निवासी-कुतवार, शिवपुरी, 3. श्रीमती गुड्डी पत्नि श्री रामजीलाल, निवासी कराहल, जिला श्योपुर, 4. श्रीमती भगवती पत्नि श्री हरिलाल, निवासी कराहल, जिला श्योपुर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 07-12-2021 से 1. श्रीमती नीना निगम पत्नि श्री चन्द्रकांत निगम, निवासी जलमंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, 2. श्रीमती घिशी आदिवासी पत्नि स्व. श्री रामचंद आदिवासी निवासी-ग्राम धामनटूक, शिवपुरी, 3. श्रीमती कल्याणी आदिवासी पत्नि स्व. श्री श्रीपथ आदिवासी, निवासी-ग्राम ढकरोरा, शिवपुरी, 4. श्रीमती भगो आदिवासी पत्नि स्व. श्री रमेश आदिवासी निवासी-ग्राम धामनटूक, शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 07-12-2021 से फर्म का मुख्यालय 1243, ग्राम कराहल, श्योपुर से परिवर्तित कर नवीन स्थल 64, जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, मध्यप्रदेश हो गया है. आम एवं सर्वजन सूचित हो.

नीना निगम

(भागीदार)

जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक,
शिवपुरी, मध्यप्रदेश.

(G-875)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स गजानन स्टोन इण्डस्ट्री जो -106, ग्राम कुतवार, बदरवास, शिवपुरी में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/41/08/0324/21, दिनांक 18-02-2021 है, जिसमें दिनांक 07-12-2021 को भागीदार 1. श्रीमती रामप्यारी आदिवासी पत्नि श्री भूरा आदिवासी, निवासी-ग्राम कुतवार, शिवपुरी, 2. श्रीमती गुमान्द पत्नि श्री भरोसे, निवासी-ग्राम खिरखिरी, श्योपुर, 3. श्रीमती रामकुंवर आदिवासी पत्नि श्री पहलवान आदिवासी, निवासी-ग्राम कुतवार,

शिवपुरी, 4. श्रीमती भगवती पत्नि श्री हरिलाल, निवासी कराहल, जिला श्योपुर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 07-12-2021 से 1. श्रीमती नीना निगम पत्नि श्री चन्द्रकांत निगम, निवासी जलमंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, 2. श्रीमती सुशीला आदिवासी पत्नि स्व. श्री प्रमोद आदिवासी निवासी-ग्राम धामनटूक, शिवपुरी, 3. श्रीमती कल्याणी आदिवासी पत्नि स्व. श्री श्रीपथ आदिवासी, निवासी-ग्राम ढकरोरा, शिवपुरी, 4. श्रीमती कला आदिवासी पत्नि स्व. श्री मुरली आदिवासी, निवासी-ग्राम ढकरोरा, शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 07-12-2021 से फर्म का मुख्यालय 106, ग्राम कुतवार, बदरवास, शिवपुरी से परिवर्तित कर नवीन स्थल 64, जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, मध्यप्रदेश हो गया है. आम एवं सर्वजन सूचित हो.

नीना निगम

(भागीदार)

जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक,

शिवपुरी, मध्यप्रदेश.

(G-876)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स विघ्ननाशा स्टोन इण्डस्ट्री जो -49, ग्राम खिरखिरी, कराहल, श्योपुर में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/45/03/0330/21, दिनांक 18-02-2021 है, जिसमें दिनांक 07-12-2021 को भागीदार 1. श्रीमती सजान्दे पत्नि श्री मुण्डा, निवासी-कराहल, श्योपुर, 2. श्रीमती रेखाबाई पत्नि श्री घनश्याम आदिवासी, निवासी-कुतवार, शिवपुरी, 3. श्रीमती निर्मला पत्नि श्री रमेश, निवासी कराहल, जिला श्योपुर, 4. श्रीमती रूकमा पत्नि श्री नावला, निवासी कराहल, जिला श्योपुर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 07-12-2021 से 1. श्रीमती नीना निगम पत्नि श्री चन्द्रकांत निगम, निवासी जलमंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, 2. श्रीमती विमला आदिवासी पत्नि स्व. श्री राधे आदिवासी, निवासी ग्राम बांहगा, शिवपुरी, 3. श्रीमती कल्याणी आदिवासी पत्नि स्व. श्री श्रीपथ आदिवासी, निवासी-ग्राम ढकरोरा, शिवपुरी, 4. श्रीमती कोशाबाई आदिवासी पत्नि स्व. श्री गंगाराम आदिवासी, निवासी-ग्राम धामनटूक, शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 07-12-2021 से फर्म का मुख्यालय 49, ग्राम खिरखिरी, कराहल, श्योपुर से परिवर्तित कर नवीन स्थल 64, जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, मध्यप्रदेश हो गया है. आम एवं सर्वजन सूचित हो.

नीना निगम

(भागीदार)

जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक,

शिवपुरी, मध्यप्रदेश.

(G-877)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स कपिल स्टोन इण्डस्ट्री जो -64, ग्राम खिरखिरी, कराहल, श्योपुर में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/45/03/0327/21, दिनांक 18-02-2021 है, जिसमें दिनांक 07-12-2021 को भागीदार 1. श्रीमती गुड्डी पत्नि श्री रमेश, निवासी ग्राम कराहल, श्योपुर, 2. श्रीमती रेखाबाई पत्नि श्री घनश्याम आदिवासी, निवासी-ग्राम कुतवार, शिवपुरी, 3. श्रीमती दाती पत्नि श्री रमेश, निवासी-ग्राम कराहल, श्योपुर, 4. श्रीमती भारती आदिवासी पत्नि श्री सतीश आदिवासी, निवासी कराहल, जिला श्योपुर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 07-12-2021 से 1. श्रीमती नीना निगम पत्नि श्री चन्द्रकांत निगम, निवासी जलमंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, 2. श्रीमती सुशीला आदिवासी पत्नि स्व. श्री प्रमोद आदिवासी निवासी-ग्राम धामनटूक, शिवपुरी, 3. श्रीमती बादामी आदिवासी पत्नि स्व. श्री लालाराम आदिवासी, निवासी ग्राम बांहगा, शिवपुरी, 4. श्रीमती कोसाबाई आदिवासी पत्नि स्व. श्री गंगाराम आदिवासी, निवासी-ग्राम धामनटूक, शिवपुरी, फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 07-12-2021 से फर्म का मुख्यालय 64, ग्राम खिरखिरी, कराहल, श्योपुर से परिवर्तित कर नवीन स्थल 64, जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, मध्यप्रदेश हो गया है. आम एवं सर्वजन सूचित हो.

नीना निगम

(भागीदार)

जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक,

शिवपुरी, मध्यप्रदेश.

(G-878)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म जैनम डेवलपर्स मुख्यालय, 151, गांधी मार्ग, प्रधानपुरा, जिला टीकमगढ़ (म. प्र.) पंजीयन क्र. 06/13/01/0056/17 सन् 2017-18 में साझेदार अखिलेख कुमार जैन तनय ऋषभ कुमार जैन का निधन दिनांक 15-04-2021 को हो गया एवं राजेश कुमार जैन तनय लक्ष्मी चन्द्र जैन का निधन 29-04-2021 को हो गया है. साझेदार स्व. अखिलेख कुमार जैन के शोयर (हिस्सा) उनकी पत्नी प्रीति जैन को हस्तांतरित हुए हैं एवं अर्चना जैन पत्नी स्व. राजेश कुमार जैन साझेदारी फर्म में शामिल हो गई हैं. उपरोक्त सभी परिवर्तन दिनांक 29.04.2021 से लागू माने जायेंगे

(G-879)

चक्रेश कुमार जैन

(भागीदार)

जैनम डेवलपर्स.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स गणाध्यक्ष स्टोन इण्डस्ट्री जो -216, ग्राम कुतवार, कोलारस, शिवपुरी में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/41/02/0320/21, दिनांक 18-02-2021 है, जिसमें दिनांक 07-12-2021 को भागीदार 1. श्रीमती रेखा आदिवासी पत्नि श्री धनश्याम आदिवासी, निवासी-ग्राम कुतवार, शिवपुरी, 2. श्रीमती आरती पत्नि श्री रामनिवास, निवासी-ग्राम कराहल, श्योपुर, 3. श्रीमती रामकली पत्नि श्री प्रहलाद, निवासी-ग्राम कराहल, श्योपुर, 4. श्रीमती गीता पत्नि श्री पप्पू, निवासी कराहल, जिला श्योपुर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 07-12-2021 से 1. श्रीमती नीना निगम पत्नि श्री चन्द्रकांत निगम, निवासी जलमंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, 2. श्रीमती कल्याणी आदिवासी पत्नि स्व. श्री श्रीपथ आदिवासी, निवासी-ग्राम ढकरोरा, शिवपुरी, 3. श्रीमती भगो आदिवासी पत्नि स्व. श्री परीकचत आदिवासी, निवासी-ग्राम ढकरोरा, शिवपुरी, 4. श्रीमती बादामी आदिवासी पत्नि स्व. श्री लालाराम आदिवासी, निवासी ग्राम बांहगा, शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 07-12-2021 से फर्म का मुख्यालय 216, ग्राम कुतवार, कोलारस, शिवपुरी से परिवर्तित कर नवीन स्थल 64, जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, मध्यप्रदेश हो गया है. आम एवं सर्वजन सूचित हो.

(G-880)

नीना निगम

(भागीदार)

जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक,

शिवपुरी, मध्यप्रदेश.

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन के भागीदारी के रूप में क्रमांक-2 में अभिलाषा पाण्डे जिनकी मृत्यु हो चुकी है. दिनांक 01-04-2021 को भागीदार क्रमांक-2 के रूप में जो कि पार्टनर थी. उनको अलग करके नये भागीदार क्रमांक-2 के रूप में 01-04-2021 को शिवांष पाण्डे को जोड़ा जाता है. निवासी ग्राम पंचायत सुरखी, तह. सागर, म. प्र.

(G-881)

अरुण कुमार पाण्डेय

(सूचनाकर्ता)

निवासी-ग्राम रायखेड़ा,

तह. देवरी, जिला सागर.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स धूम्रकेतु स्टोन इण्डस्ट्री जो -98, ग्राम कुतवारा, कोलारस, शिवपुरी में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/41/02/0326/21, दिनांक 18-02-2021 है, जिसमें दिनांक 07-12-2021 को भागीदार 1. श्रीमती सीता पत्नि श्री पहलवान, निवासी कुतवार, कोलारस, शिवपुरी, 2. श्रीमती नारायणी पत्नि श्री गज्जू, निवासी-कराहल, जिला श्योपुर, 3. श्रीमती दती पत्नि श्री रमेश, निवासी-कराहल, जिला श्योपुर, 4. श्रीमती कल्ली पत्नि श्री सामंती, निवासी कराहल, जिला श्योपुर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 07-12-2021 से 1. श्रीमती नीना निगम पत्नि श्री चन्द्रकांत निगम, निवासी जलमंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, 2. श्रीमती सुशीला आदिवासी पत्नि स्व. श्री प्रमोद आदिवासी, निवासी-ग्राम धामण्डू, शिवपुरी, 3. श्रीमती भगो आदिवासी पत्नि स्व. श्री परिकचत आदिवासी,

निवासी-ग्राम ढकरोरा, शिवपुरी, 4. श्रीमती कला आदिवासी पत्नि स्व. श्री मुरली आदिवासी, निवासी-ग्राम ढकरोरा, शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 07-12-2021 से फर्म का मुख्यालय 98, ग्राम कुतवार, कोलारस, शिवपुरी से परिवर्तित कर नवीन स्थल 64, जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, मध्यप्रदेश हो गया है. आम एवं सर्वजन सूचित हो.

नीना निगम
(भागीदार)
जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक,
शिवपुरी, मध्यप्रदेश.

(G-882)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स गजकर्नक स्टोन इण्डस्ट्री जो -238, ग्राम खिरखिरी, श्योपुर में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/45/01/0331/21, दिनांक 18-02-2021 है, जिसमें दिनांक 07-12-2021 को भागीदार 1. श्रीमती गुमान्दे पत्नि श्री भरोसे, निवासी-ग्राम खिरखिरी, कराहल श्योपुर, 2. श्रीमती सीता पत्नि श्री पहलवान, निवासी-ग्राम कुतवार, शिवपुरी, 3. श्रीमती रामकली पत्नि श्री प्रहलाद, निवासी-कराहल, श्योपुर, 4. श्रीमती रामसुखी पत्नि श्री राजेश, निवासी कराहल, जिला श्योपुर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 07-12-2021 से 1. श्रीमती नीना निगम पत्नि श्री चन्द्रकांत निगम, निवासी जलमंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, 2. श्रीमती घिसी आदिवासी पत्नि स्व. श्री रामचंद आदिवासी, निवासी-ग्राम धामनटूक, शिवपुरी, 3. श्रीमती विमला आदिवासी पत्नि स्व. श्री राधे आदिवासी, निवासी ग्राम बाहंगा, शिवपुरी, 4. श्रीमती भग्गो आदिवासी पत्नि स्व. श्री परीकचत आदिवासी, निवासी-ग्राम ढकरोरा, शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 07-12-2021 से फर्म का मुख्यालय -238, ग्राम खिरखिरी, श्योपुर से परिवर्तित कर नवीन स्थल 64, जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक, शिवपुरी, मध्यप्रदेश हो गया है. आम एवं सर्वजन सूचित हो.

नीना निगम
(भागीदार)
जल मंदिर रोड, न्यू ब्लॉक,
शिवपुरी, मध्यप्रदेश.

(G-883)

नाम परिवर्तन

शादी से पहले मेरा नाम कु. छुन्नी बाई था तथा शादी के बाद मेरा नाम श्रीमती ज्योति पाठक पत्नी श्री बंसत लाल पाठक हो गया है. अब मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(छुन्नी बाई)

नया नाम :
(ज्योति पाठक)
पता-40, ब्राइट कॉलोनी, ईदगाह हिल्स,
भोपाल (म. प्र.)

(G-884)

नाम परिवर्तन

मैं, KHUSHBOO GIDWANI पत्नी SHRI RAJ KUMAR GIDWANI, निवासी C/o राजकुमार गिदवानी, B-13/134, नियर ओल्ड पोस्ट ऑफिस, बैरागढ़, भोपाल, मध्यप्रदेश, पिन कोड-462030 मेरी LIC पालिसी में मेरा नाम KHUSHALI MAKHIJA दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में मेरा नाम KHUSHBOO GIDWANI W/o RAJ KUMAR GIDWANI है. अतः मुझे अब KHUSHBOO GIDWANI के नाम से जाना व पहचाना जाए सभी दस्तावेजों में.

पुराना नाम :
(खुशाहली माखीजा)

नया नाम :
(खुशबू गिदवानी)

(G-885)

विविध न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयन लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 0002-बी-113-1481-2021-22

उज्जैन, दिनांक 25 अक्टूबर 2021

प्रारूप-चार
(नियम-5) 1 (देखिए)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2)
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

पंजीयक,
लोक न्यास,
उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि, आवेदक अध्यक्ष श्री देवकरण शर्मा, निवासी गंगोत्री भवन, 12 सुभाष नगर, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951) का 30 (की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 25-10-2021 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया गया.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती हैं.

अतः, मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 25-10-2021 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा:—

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम :	“श्री ऋषि संस्कृति संवर्धन पारमार्थिक (गुरुकुल) न्यास, चिंतामण गणेश क्षेत्र तहसील व जिला उज्जैन, म. प्र.”
कार्यालय :	“श्री ऋषि संस्कृति संवर्धन पारमार्थिक (गुरुकुल) न्यास परिसर, रत्नाखेड़ी रोड, चिंतामण गणेश क्षेत्र तहसील व जिला उज्जैन, म. प्र.”
अचल सम्पत्ति :	सर्वे नं. 140/3, रकबा 05 बीघा, ग्राम चिंतामण
चल सम्पत्ति :	बैंक ऑफ बडौदा शाखा वेदनगर, उज्जैन में जमा राशि रु. 3,41,195/-

(G-886)

गोविंद दुबे, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी.

प्रारूप क्र. 04
[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश
लोक न्यास नियम, 1962 के नियम (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, दमोह, जिला दमोह के समक्ष

यतः, मां सिद्धीदायिनी सेवा ट्रस्ट, प्रोफेसर कॉलोनी, सिविल वार्ड नं. 06 की ओर से अध्यक्ष राजेश दुबे, निवासी प्रोफेसर कॉलोनी, दमोह, तहसील व जिला दमोह के द्वारा लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 अन्तर्गत एक आवेदन पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 30-10-2021 को 02.00 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा:—

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण

मां सिद्धीदायिनी सेवा ट्रस्ट, प्रोफेसर कॉलोनी, सिविल वार्ड नं. 06 की ओर से अध्यक्ष राजेश दुबे, निवासी प्रोफेसर कॉलोनी, दमोह, तहसील व जिला दमोह.

देवी मंदिर परिसर, प्रोफेसर कॉलोनी, सिविल वार्ड नं. 06, दमोह, म. प्र., दमोह नगर नजूल सीट नं. 63 से 77, पुराना प्लाट नंबर 147/1152/1153/नये प्लाट नंबर 147/33147/34152/4153/5, दमोह, तहसील व जिला दमोह में से 7500 वर्गफुट स्थित मंदिर परिसर.

(G-887)

अविनाश रावत, पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2)
और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

क्रमांक 2996-रीडर-1-प्र.क्र. 01-बी-113 (1)-2021-22

नीमच, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

चूंकि, अनिल जैन पिता स्व. श्री तेजमल जैन, निवासी-प्रतीक मेडिकोज अम्बेडकर रोड, नीमच के द्वारा "स्माइल्स फॉर ऑल चेरिटेबल ट्रस्ट" प्रतीक मेडिकोज अम्बेडकर रोड, नीमच, जिला-नीमच "मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 अधीन लोक न्यास पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में द्वारा दिनांक 26 नवम्बर 2021 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है।

अतः, मैं, डॉ. ममता खेड़े, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच म. प्र. का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 26 नवम्बर 2021 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ।

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्त का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा:—

अनुसूची

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. लोक न्यास का नाम व पता | : | “स्माइल्स फॉर ऑल चेरिटेबल ट्रस्ट” प्रतीक मेडिकोज अम्बेडकर रोड, नीमच जिला-नीमच. |
| 2. लोक न्यास की अचल संपत्ति का विवरण | : | निरंक |
| 3. चल सम्पत्ति | : | रु. 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र) |

दिनांक : 29 अक्टूबर 2021
(G-888)

ममता खेड़े, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास.

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, उज्जैन नगर, जिला-उज्जैन

क्रमांक एसडीएम नगर-रीडर-1-2021-एचएन. 136

उज्जैन, दिनांक 23 नवम्बर 2021

प्रारूप-चार
नियम-5 (1) देखिए)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2)
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

पंजीयक,
लोक न्यास,
उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि, आवेदक “अवन्तिका सेवा न्यास” (ट्रस्ट) द्वारा श्री राजेश जोशी, एडवोकेट द्वारा “अवन्तिका सेवा न्यास” उज्जैन (म. प्र.) पंजीकृत कार्यालय—56, आर्यसमाज मार्ग, उज्जैन (म. प्र.) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा, यह सूचना दिया जाता है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 24 दिसम्बर 2021 को दोपहर 3.00 बजे स्थान कोठी पॅलेस उज्जैन, कक्ष क्रमांक 11 में विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः, मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उज्जैन नगर, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 23 नवम्बर 2021 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा:—

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

लोक न्यास का नाम :	“अवन्तिका सेवा न्यास”
कार्यालय :	56, आर्यसमाज मार्ग, उज्जैन (म. प्र.)
अचल सम्पत्ति :	वर्तमान में ट्रस्ट के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है
चल सम्पत्ति :	आवेदन में उल्लेखित चल संपत्ति का मूल्य 2100 रुपये दर्शाया गया है.

(G-889)

संजीव साहू, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग, (मल्हारगंज), इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 11 नवम्बर 2021

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत आवेदक रामबाबू अग्रवाल पिता श्री स्व. मथुरालाल जी अग्रवाल, न्यासी निवासी 121/47, न्यू अग्रवाल नगर, इंदौर तर्फे “मारूति नंदन बालाजी सेवा संस्थान इंदौर” ट्रस्ट लक्ष्मी अपार्टमेंट, 138, स्कीम नं. 47, भगवानदीन नगर नवलखा, इंदौर के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क रुपये 5/- का चालान क्रमांक 007012740, दिनांक 27 जुलाई 2021 प्रस्तुत किया गया है. चल सम्पत्ति 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र) तथा अचल सम्पत्ति निरंक है.

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों / दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम :	“मारूति नंदन बालाजी सेवा संस्थान इंदौर”
पता :	कार्यालय पता—लक्ष्मी अपार्टमेंट, 138, स्कीम नं. 47, भगवानदीन नगर नवलखा, इंदौर
चल संपत्ति :	चल सम्पत्ति 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र) तथा अचल सम्पत्ति निरंक है.

आज दिनांक 11 नवम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-890)

प्रकरण क्रमांक 373-री-1-लोक न्यास-2021

इंदौर, दिनांक 12 नवम्बर 2021

प्र. क्र. 0032-बी-113-2019-20.—मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत आवेदक श्री शैलेन्द्र वोरा पिता श्री मदनलाल वोरा, निवासी 291, कॉलानी नगर, इंदौर के द्वारा “श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट” कार्यालय पता 360, सी कॉलोनी नगर, इंदौर का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों / दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:—

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम : “श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट”
 पता : कार्यालय पता 360, सी कॉलानी नगर, इंदौर
 चल संपत्ति : चल सम्पत्ति 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र) है. जिससे न्यास शुरू किया गया है.
 आज दिनांक 27 सितम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-891)

पराग जैन, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2)
 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

क्रमांक 2998-रीडर-1-प्र.क्र. 01-बी-113 (1)-2021-22

नीमच, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

चूंकि, ज्योतिप्रकाश पिता मणिलाल बाफना, निवासी-जमुनियाकलां द्वारा “श्री धर्मनार्थ पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक संघ” मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 अधीन लोक न्यास पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26 नवम्बर 2021 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है.

अतः मैं, डॉ. ममता खेड़े, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 26 नवम्बर 2021 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोकन्यास का नाम व पता—	:	“श्री धर्मनार्थ पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक संघ” जमुनियांकला तहसील नीमच, जिला-नीमच.
लोकन्यास की अचल संपत्ति का विवरण—	:	ग्राम जमुनियाकलां स्थित सर्वे नंबर 86 रकबा 0.76, सर्वे नंबर 586 रकबा 1.44, सर्वे नंबर 707 रकबा 2.94 हेक्टर, सर्वे नंबर 78 रकबा 1.89 हेक्टर, मंदिर श्री पारसनाथ जी जमुनियाकलां के नाम से है एवं ग्राम लखमी स्थित खसरा नंबर 458 रकबा 0.95 हेक्टर, सर्वे नंबर 496 रकबा 0.06 श्री पारसनाथ मंदिर जमुनियाकलां के नाम से तथा ग्राम जमुनियाकलां में 274.34 वर्ग मीटर का भूखण्ड, श्री राजेन्द्र सुरी ज्ञान मंदिर के नाम से उपाश्रण भवन 67.88 वर्गमीटर दो मंजिला मंदिर के निकट दो मंजिला स्थित है.
चल सम्पत्ति—	:	रु. 3,96,371/- (अक्षरी रुपये तीन लाख, छियानवे हजार तीन सौ इकहत्तर मात्र)

दिनांक : 29 अक्टूबर 2021

ममता खेड़े, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-892)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग, देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 5(2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्रमांक 373-रीडर-2021.—अध्यक्ष श्रीमंत विक्रम सिंह पवार, आनन्द भवन पेलेस, देवास द्वारा इस न्यायालय में समक्ष में उपस्थित होकर “मध्यप्रदेश कबड्डी फाउण्डेशन”, 41, कृष्णपुरा, देवास के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदन-पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा पत्र, उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है. ट्रस्ट पंजीयन के सम्बन्ध में पंजीयन शुल्क राशि रुपये 5/- की चालान की प्रति के साथ संलग्न की गई है.

अतः “मध्यप्रदेश कबड्डी फाउण्डेशन”, 41, कृष्णपुरा, देवास के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति पेशी दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

आज दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

(G-893)

देवास, दिनांक 1 नवम्बर 2021

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 5(2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्रमांक 404-रीडर--2021.—आवेदक वसीम शेख पिता हकीम शेख निवासी 107, स्वस्तिक नगर, मौलाना आजाद कालेज के पास, उज्जैन रोड, देवास द्वारा इस न्यायालय में समक्ष में उपस्थित होकर “कर्म योग”, ट्रस्ट, 107, स्वस्तिक नगर, मौलाना आजाद कालेज के पास, उज्जैन रोड, देवास के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा पत्र, उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है। ट्रस्ट पंजीयन के सम्बन्ध में पंजीयन शुल्क राशि रुपये 5/- की चालान की प्रति के साथ संलग्न की गई है।

अतः “कर्म योग”, ट्रस्ट, 107, स्वस्तिक नगर, मौलाना आजाद कालेज के पास, उज्जैन रोड, देवास के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 30 नवम्बर 2021 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

आज दिनांक 1 नवम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

प्रदीप कुमार सोनी, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(G-894)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट कटंगी,
जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

कटंगी, दिनांक 25 नवम्बर 2021

फार्म-4

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 5(2) के तहत]

रा. प्र. क्र.-0001-B-113-2021-2022.—आवेदक अध्यक्ष श्री आशीष गढपाल पिता लालदास गढपाल निवासी ग्राम उमरी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) द्वारा “भदन्ताचार्य बुद्धदत्त पालि संवर्धन प्रतिष्ठान ट्रस्ट उमरी” को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 को समय 12.00 बजे इस न्यायालय में सुनवाई की जावेगी। जिस किसी व्यक्ति को उक्त न्यास या सम्पत्ति के प्रति रूची हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 27 दिसम्बर 2021 को स्वयं या अपने वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर अपना दावा अथवा आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत तिथी उपरांत प्राप्त दावा/आपत्ति के आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम एवं पता :—“भदन्ताचार्य बुद्धदत्त पालि संवर्धन प्रतिष्ठान, उमरी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश)

रोहित बम्होरे, (रा. प्र. से.) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार.

(G-895)

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, उपखण्ड, आलोट,
जिला रतलाम, मध्यप्रदेश**

आलोट, दिनांक 22 नवम्बर 2021

प्रारूप-चतुर्थ

[देखिये नियम पाँच (एक)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 एक का अधिनियम तीसवां की धारा 5(2)
मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम 5(1) अनुसार]

क्रमांक-6161-री-1-21.—चूँकि श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ शेरपुरखुर्द, तहसील आलोट, जिला रतलाम द्वारा अध्यक्ष रतनचंद पिता श्री मेधराज लोढा, निवासी चेन्नई अन्य-1 अन्य-1 ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा (4) के अनुसार नीचे दर्शाई गई संपत्ति एवं पब्लिक ट्रस्ट का पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. अतएव सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में नियत दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को प्रातः 11.00 बजे मेरे न्यायालय में सुनवाई की जावेगी.

अतः कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आपत्ति/आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना चाहता है तो वह इस अधिसूचना के निकलने से एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के दिन स्वयं या अपने अधिवक्ता या एजेन्ट द्वारा मेरे समक्ष में उपस्थित हों.

निर्धारित समय के समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम— : श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ शेरपुरखुर्द तहसील आलोट, जिला रतलाम.
2. अचल संपत्ति का विवरण— : दान दाता द्वारा दान की गई ग्राम शेरपुरखुर्द, तहसील आलोट में स्थित भूमि.
3. चल सम्पत्ति— : नगदी रुपये 25,000/- जो कोषाध्यक्ष श्री सुरेश बाँठिया के पास जमा है.

आज दिनांक 22 नवम्बर, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी.

राजेश कुमार शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-896)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग, देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 26 नवम्बर, 2021

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 5(2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्रमांक 419-रीडर-2021.—अध्यक्ष श्री राजेश बैरागी पिता शिवप्रसाद बैरागी, निवासी 63, शिखरजीधाम एक्सटेंशन, ए. बी. रोड, देवास द्वारा इस न्यायालय में समक्ष में उपस्थित होकर “दिव्य योग संस्थान”, न्यास, 63, शिखरजीधाम एक्सटेंशन, ए. बी. रोड, देवास के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदन-पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा-पत्र, उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है. ट्रस्ट पंजीयन के सम्बन्ध में पंजीयन शुल्क राशि रुपये 5/- की चालान की प्रति के साथ संलग्न की गई है.

अतः “दिव्य योग संस्थान”, न्यास, 63, शिखरजीधाम एक्सटेंशन, ए. बी. रोड, देवास के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति पेशी दिनांक 27 दिसम्बर 2021 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

आज दिनांक 26 नवम्बर, 2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

प्रदीप कुमार सोनी, रजिस्ट्रार

(G-897)

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुभाग पुनासा,
जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश**

पुनासा दिनांक 29 नवम्बर, 2021

प्रारूप चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) एवं म. प्र. सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

प्र. क्र.-00-बी-113(1)-2021-22.—आवेदक श्री दयालसिंह तोमर पिता श्री बाबुसिंह तोमर निवासी ग्राम चिचलीखुर्द तह. पुनासा, जिला खण्डवा वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष द्वारा “श्रीराम मंदिर ट्रस्ट चिचलीखुर्द ग्राम चिचलीखुर्द तह. पुनासा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4 के तहत आवेदन-पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 19 दिसम्बर, 2021 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अधिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता— : “श्रीराम मंदिर ट्रस्ट चिचलीखुर्द ग्राम चिचलीखुर्द तह. पुनासा,
जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश.

अनुसूची “अ”

चल सम्पत्ति— : नगद—1000.00 रुपये

अनुसूची “ब”

अचल सम्पत्ति— : निरंक

चन्दरसिंह सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-898)

**न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग,
(मल्हारगंज) इंदौर, मध्यप्रदेश**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963
नियम 5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री कल्पेश पिता श्री कैलाश विजयवर्गीय व अन्य द्वारा "श्री पितरेश्वर हनुमान धाम न्यास" कार्यालय पता—न्यास 3, पटेल नगर मोहल्ला बाग के सामने, एयरपोर्ट रोड, इंदौर का मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अधिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम :	"श्री पितरेश्वर हनुमान धाम न्यास"
पता :	कार्यालय पता—न्यास 3, पटेल नगर मोहल्ला बाग के सामने, एयरपोर्ट रोड, इंदौर
चल संपत्ति :	चल सम्पत्ति 31,000/- (अक्षरी रुपये इकतीस हजार मात्र)
अचल संपत्ति :	अचल संपत्ति निरंक है।

आज दिनांक 27 फरवरी 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

राकेश शर्मा, पंजीयक.

(G-899)

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म. प्र. शासन द्वारा गठित)

ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2019

फा.क्र.-98-2-आर-शयोपुर-2019.—श्री अल्ला नूर खों आ. नूर मोहम्मद निवासी—पाली रोड शयोपुर द्वारा आवेदन दिनांक 10 अप्रैल 2007 प्रस्तुत कर वक्फ मजार मिठठे शाह ग्राम मिठठे पुरा शयोपुर के पंजीयन हेतु वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 36 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया. जिस पर कार्यालय वक्फ बोर्ड द्वारा धारा 36 के अंतर्गत विधिवत नोटिस एवं सूचना-पत्र जारी किये गये, परंतु निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई. इस प्रकार वक्फ संबंधित आवेदन साक्ष्य व अभिलेखों से प्रमाणित है कि वक्फ मजार मिठठे शाह ग्राम मिठठे पुरा शयोपुर की संपत्ति वक्फ घोषित है. जिसका पंजीयन कार्यालय वक्फ बोर्ड में दिनांक 7 जून 2008 को वक्फ पंजी जिला शयोपुर के अनुक्रमांक 278 पर वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 36 के तहत किया जा चुका है.

वक्फ सम्पत्ति का विवरण

नाम वक्फ	संपत्ति जिसकी प्रविष्टी वक्फ पंजी में की गई है
वक्फ मजार मिठठे शाह ग्राम मिठठे पुरा शयोपुर	खसरा नंबर 27/8 रकबा 0.199 हैक्टेयर (2 बीघा 6 बिसवा)

मोहम्मद एहमद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(G-900)

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 10 अगस्त 2021

नियम 5 (1) देखिए

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत]

प्रकरण क्रमांक 02 बी-113-2021-22 :- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदन-पत्र श्री महावीर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ तुलसी सरोवर लालबाग, बुरहानपुर द्वारा सचिव श्री नीलेश कुमार पिता प्रेमचंद मुथा निवासी नारायण नगर लालबाग, तहसील एवं जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनूसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 10 अगस्त 2021 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम व पता : श्री महावीर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ तुलसी सरोवर लालबाग बुरहानपुर वर्किंग ट्रस्टी सचिव श्री नीलेश कुमार पिता प्रेमचंद मुथा निवासी नारायण नगर लालबाग, तहसील एवं जिला बुरहानपुर
2. चल सम्पत्ति : 50000/-
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.

बुरहानपुर, दिनांक 24 फरवरी 2021

नियम 5 (1) देखिए

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत]

प्रकरण क्रमांक बी-113-2018-19 :- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदक श्री महाराष्ट्रीय ब्राम्हण सभा ट्रस्ट, बुरहानपुर तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष श्री विष्णु पिता श्रीधर परचुरे निवासी लक्ष्मी नगर, बुरहानपुर, तहसील एवं जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनूसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 06 फरवरी 2021 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम व पता : श्री महाराष्ट्रीय ब्राम्हण सभा ट्रस्ट, बुरहानपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष श्री विष्णु पिता श्रीधर परचुरे, निवासी लक्ष्मी नगर, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर.

2. चल सम्पत्ति : 10,00,000/- रु. बैंक ऑफ इण्डिया, बुरहानपुर
3. अचल सम्पत्ति : ग्राम बहादरपुर में 421/3 परिवर्तित रकबा 9684 वर्गफिट

के.आर. बडौले, पंजीयक.

(G-901)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग, देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 8 नवम्बर 2021

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 5(2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम 1952, के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्र.409-रीडर-2021 - अध्यक्ष श्री कृष्णगोपालदासजी महाराज पिता गरुड़दासजी महाराज, निवासी-पंचमुखी धाम, नवा कुंआ, ग्राम आगरोद तहसील व जिला देवास द्वारा इस न्यायालय में समक्ष में उपस्थित होकर "श्री गरुड़दासजी महाराज ध्यान योग साधना एवं सेवा न्यास", पंचमुखी धाम, नवा कुंआ, ग्राम आगरोद तहसील व जिला देवास के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदन-पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा-पत्र उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है. ट्रस्ट पंजीयन के सम्बन्ध में पंजीयन शुल्क राशि रुपये 5/- के चालान की प्रति के साथ संलग्न की गई है.

अतः "श्री गरुड़दासजी महाराज ध्यान योग साधना एवं सेवा न्यास", पंचमुखी धाम, नवा कुंआ, ग्राम आगरोद तहसील व जिला देवास के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति पेशी दिनांक 08 दिसम्बर 2021 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

आज दिनांक 08 नवम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

प्रदीप कुमार सोनी, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(G-902)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय डिप्टी-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, जिला सागर

सागर, दिनांक 09 नवम्बर, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परि-2021-1475 :- बजरंग बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पिपरिया डिगर्गा, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1285, दिनांक 18 फरवरी 2008 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-856, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बजरंग बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पिपरिया डिगर्गा, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1285, दिनांक 18 फरवरी 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 नवम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-903)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परि-2021-1476 :-प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., मोढार नायक, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1301, दिनांक 03 अप्रैल 2008 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-813, दिनांक 13 मई 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., मोढार नायक, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1301, दिनांक 03 अप्रैल 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 नवम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-904)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परि-2021-1477 :-कर्माबाई बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रहली विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1227, दिनांक 11 सितम्बर 2006 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-698, दिनांक 24 अप्रैल 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कर्माबाई बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रहली विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1227, दिनांक 11 सितम्बर 2006 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 नवम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-905)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परि-2021-1478 :-प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., अचलपुर, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1278, दिनांक 13 फरवरी 2008 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-850, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., अचलपुर, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1278, दिनांक 13 फरवरी 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 नवम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-906)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परि-2021-1479 :-महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., छिरारी, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 627, दिनांक 20 मार्च 1996 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1920, दिनांक 27 अक्टूबर 2017 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., छिरारी, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 627, दिनांक 20 मार्च 1996 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 नवम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.
(G-907)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परि-2021-1480 :-भूतपूर्व सैनिक मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर पद्माकर नगर सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 524, दिनांक 26 अक्टूबर 1991 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2876, दिनांक 12 सितम्बर 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सी.एस. झा, वरिष्ठ, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूतपूर्व सैनिक मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर पद्माकर नगर सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 524, दिनांक 26 अक्टूबर 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 नवम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.
(G-908)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परि-2021-1481 :-प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., रेल्वे कॉलोनी, बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1149, दिनांक 02 सितम्बर 2004 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1604, दिनांक 06 जुलाई 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीना द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., रेल्वे कॉलोनी, बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1149, दिनांक 02 सितम्बर 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 नवम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.
(G-909)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परि-2021-1482 :-जनसेवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 622, दिनांक 03 जनवरी 1996 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1603, दिनांक 06 जुलाई 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीना द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनसेवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 622, दिनांक 03 जनवरी 1996 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 नवम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.
(G-910)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परि-2021-1483 :-महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 687, दिनांक 03 जुलाई 1997 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1602, दिनांक 06 जुलाई 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीना द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 687, दिनांक 03 जुलाई 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 नवम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.
(G-911)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परि-2021-1484 :-सरस्वती महिला विकास सहकारी समिति जैसीनगर, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1223, दिनांक 19 अप्रैल 2006 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-1612, दिनांक 06 जुलाई 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड जैसीनगर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सरस्वती महिला विकास सहकारी समिति जैसीनगर, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1223, दिनांक 19 अप्रैल 2006 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 नवम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार.

(G-912)

कार्यालय, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 01 नवम्बर, 2021

क्र.-परि-2021-1061 :- दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित थूरिया, पंजीयन क्रमांक 1505, दिनांक 14 अक्टूबर 2014 है प्रशासक के पत्र दिनांक 11 अगस्त 2021 अनुसार संस्था का पदभार ग्रहण करने के पश्चात् दिनांक 23 जुलाई 2021 को संस्था सदस्यों की बैठक आहूत की जाकर संस्था के निर्वाचन कराने का प्रस्ताव रखा गया, किन्तु संस्था सदस्यों द्वारा बैठक में अवगत कराया कि संस्था विगत तीन वर्षों से बन्द है एवं संस्था को चलाने में कोई रुचि भी नहीं है, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 773 दिनांक 18 अगस्त 2021 से कारण बताओ सूचना-पत्र से प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 30 दिवस का समय दिया गया था सूचना-पत्र के संबंध में कोई जवाब प्रशासक द्वारा प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पूर्व में ही संस्था प्रशासक द्वारा प्रस्ताव ठहराव संलग्न किया था कि संस्था विगत तीन वर्षों से बंद है संस्था का संचालन करने में किसी भी सदस्य की कोई रुचि न होना, आगे भी कोई संचालन की संभावना नहीं होना दर्शित बताया है. उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, महेन्द्र कुमार दीक्षित, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित थूरिया, पंजीयन क्रमांक 1505, दिनांक 14 अक्टूबर 2014 है को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री अरूण पेंडारे, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 01 नवम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.
(G-913)

क्र.-परि-2021-1064 :- गजानंद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बांगरदा, पंजीयन क्रमांक 1262, दिनांक 19 मार्च 2012 है. दिनांक 12 जुलाई 2021 को अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त नोट शीट अनुसार संस्था द्वारा संस्था का अंकेक्षण करने हेतु वर्ष 2019-20 का रेकार्ड संबंधित अंकेक्षक को उपलब्ध नहीं करवाया गया है जिसके कारण उक्त वर्ष का अंकेक्षण लम्बित होना सूचित किया गया है तथा अंकेक्षण द्वारा की गई कार्यवाही के पत्राचार एवं पंचनामा द्वारा भी अवगत करवाया है, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 740, दिनांक 16 अगस्त 2021 से कारण बताओ सूचना-पत्र से प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 30 दिवस का समय दिया गया था. सूचना-पत्र संबंधित संस्था अध्यक्ष को दिनांक 14 सितम्बर 2021 को प्राप्त हो चुका है, किन्तु निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुआ न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, महेन्द्र कुमार दीक्षित, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गजानंद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बांगरदा, पंजीयन क्रमांक 1262, दिनांक 19 मार्च 2012 है को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री अरूण पेंडारे, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 01 नवम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.
(G-914)

क्र.-परि-2021-1062 :- दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खारपा, पंजीयन क्रमांक 1454, दिनांक 18 जुलाई 2014 है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1315, दिनांक 01 सितम्बर 2021 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है. संस्था द्वारा प्रशासन को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया और न ही निर्वाचन कराये जाने हेतु सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 796, दिनांक 31 अगस्त 2021 से कारण बताओ सूचना-पत्र से प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 30 दिवस का समय दिया गया था. सूचना-पत्र के संबंध में संस्था के दुग्ध शीत केन्द्र, कन्नौद के समिति सेवक श्री सुरेशकुमार बकोरे द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2021 के आवेदन अनुसार अवगत कराया कि संस्था विगत 1 अप्रैल 2019

से ही बन्द है एवं आगे भी कोई संचालन की संभावना नहीं होना दर्शित बताया है। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः मैं, महेन्द्र कुमार दीक्षित, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खारपा, पंजीयन क्रमांक 1454, दिनांक 18 जुलाई 2014 है को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री जगदीश खिंची, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 01 नवम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-915)

क्र.-परि-2021-1060 :-दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित कुसमानिया, पंजीयन क्रमांक 1406, दिनांक 28 फरवरी 2014 है। दिनांक 31 जुलाई 2021 को निर्वाचन कक्ष से प्राप्त नोट अनुसार प्रशासक द्वारा संस्था का पदभार ग्रहण करने के पश्चात् दिनांक 23 जुलाई 2021 को संस्था सदस्यों की बैठक आहूत की जाकर संस्था के निर्वाचन कराने का प्रस्ताव रखा गया, किन्तु संस्था सदस्यों द्वारा बैठक में अवगत कराया कि संस्था विगत तीन वर्षों से बन्द है एवं संस्था को चलाने में कोई रुचि भी नहीं है, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 741, दिनांक 16 अगस्त 2021 से कारण बताओ सूचना-पत्र से प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 30 दिवस का समय दिया गया था। सूचना-पत्र के संबंध में कोई जवाब प्रशासक द्वारा प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पूर्व से ही संस्था प्रशासक द्वारा प्रस्ताव ठहराव संलग्न किया था कि संस्था विगत तीन वर्षों से बंद है। संस्था का संचालन करने में किसी भी सदस्य की कोई रुचि न होना, आगे भी कोई संचालन की संभावना नहीं होना दर्शित बताया है। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः मैं, महेन्द्र कुमार दीक्षित, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित कुसमानिया, पंजीयन क्रमांक 1406, दिनांक 28 फरवरी 2014 है को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री अरुण पेंठारे, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 01 नवम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-916)

क्र.-परि-2021-1063 :-दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बावड़ीखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 1316, दिनांक 03 अप्रैल 2013 है। दिनांक 31 जुलाई 2021 को निर्वाचन कक्ष से प्राप्त नोट अनुसार प्रशासक द्वारा संस्था का पदभार ग्रहण करने के पश्चात् दिनांक 23 जुलाई 2021 को संस्था सदस्यों की बैठक आहूत की जाकर संस्था के निर्वाचन कराने का प्रस्ताव रखा गया, किन्तु संस्था सदस्यों द्वारा बैठक में अवगत कराया कि संस्था विगत तीन वर्षों से बन्द है एवं संस्था को चलाने में कोई रुचि भी नहीं है, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 772, दिनांक 19 अगस्त 2021 से कारण बताओ सूचना-पत्र से प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 30 दिवस का समय दिया गया था। सूचना-पत्र के संबंध में कोई जवाब प्रशासक द्वारा प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पूर्व में ही संस्था प्रशासक द्वारा प्रस्ताव ठहराव संलग्न किया था कि संस्था विगत तीन वर्षों से बंद है। संस्था का संचालन करने में किसी भी सदस्य की कोई रुचि न होना, आगे भी कोई संचालन की संभावना नहीं होना दर्शित बताया है। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः मैं, महेन्द्र कुमार दीक्षित, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बावड़ीखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 1316, दिनांक 03 अप्रैल 2013 है को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री जगदीश खिंची, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 01 नवम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

महेन्द्र कुमार दीक्षित, उप-रजिस्ट्रार.

(G-917)

कार्यालय, उप आयुक्त सहकारिता, जिला रायसेन

रायसेन, दिनांक 30 सितम्बर 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2021-839.-अनुसूचित जाति मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., अमरावद, तहसील रायसेन के संबंध में श्री इमरतलाल रजक द्वारा शिकायत की गई शिकायत संस्था के गठन में अनियमितता एवं फर्जी सदस्यों के समावेश के संबंध में की गई थी जिसकी जांच श्री एन. एस. हाडा, अंके. अधि. द्वारा की गई. जांच प्रतिवेदन अनुसार संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है तथा संस्था में सिर्फ 6 सदस्य वैधानिक सदस्य हैं एवं संस्था के गठन हेतु नियमानुसार 21 सदस्यों के स्थान पर 14 सदस्य ही शेष हैं. स्पष्ट है कि संस्था मनमाने तरीके से अवैधानिक कार्य कर सहकारिता नियमों प्रावधानों का उल्लंघन करते आ रही है.

आवेदकों द्वारा अपने आवेदन में उल्लेख किया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा कार्यवाही पंजी का अवलोकन नहीं किया गया है. संस्था द्वारा दिनांक 28-08-2021 को 7 नवीन सदस्य बनाये गये हैं. जबकि जांच अधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि दिनांक 02-08-2021 को संस्था में मात्र 14 सदस्य हैं. अतः आवेदन में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 3 प्रमाणित नहीं होता है इस प्रकार संस्था द्वारा संस्था की उपविधि शासन की मत्स्य नीति का पालन नहीं किया गया है. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा 69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, पुष्पेन्द्र कुमार कुशवाहा, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला रायसेन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञापित क्रमांक एफ-5-1-99 पंद्रह-1, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जाति मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., अमरावद, तहसील रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 365, दिनांक 23-02-1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के अधिनियम 1960 की धारा-69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के अधिनियम 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत श्रीमति आभा कांचले, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

पुष्पेन्द्र कुमार कुशवाहा, सहायक रजिस्ट्रार.

(G-918)

कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला बैतूल

बैतूल, दिनांक 22 नवम्बर, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./पुन/2021/678.-कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/573, दिनांक 26 जुलाई 2014 द्वारा जनता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भैंसदेही, जिला बैतूल पंजीयन क्रमांक 1246, दिनांक 31 दिसम्बर 1990 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया था. कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/253, दिनांक 05 मार्च 2016 के द्वारा श्री हरिओम गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापन नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापन द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर 2021 को आमसभा ली गई. जिसमें सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु निर्णय पारित किया गया है. परिसमापक द्वारा भी संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई. तदनुसार मेरी राय में संस्था द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक द्वारा की गई अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुये जनता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भैंसदेही का अस्तित्व में रहना आवश्यक है.

अतः मैं, के.व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परिसमापन-2014-573 दिनांक 26 जुलाई 2014 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ.

आगामी आदेश पर्यन्त अथवा संस्था का निर्वाचन जो भी पहले हो संस्था का कामकाज संचालन हेतु 3 माह के लिये जनता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भैंसदेही, जिला बैतूल का निम्नानुसार प्रबंधकारिणी कमेटी का गठन करता हूँ:-

क्र.	सदस्यों का नाम	निवास का पता	पद जिस पर नामांकित किया गया है
1.	श्री प्रदीप सिंह/चन्द्रचूडसिंह	भैंसदेही	अध्यक्ष
2.	श्री दुर्गाचरणसिंह/चन्द्रचूडसिंह	भैंसदेही	उपाध्यक्ष
3.	श्री अनिलसिंह/शीतला सिंह	भैंसदेही	संचालक
4.	श्री देवी सिंह/जयचन्द्र सिंह	भैंसदेही	संचालक
5.	श्री मनीष/गुलाबराव सोलंकी	भैंसदेही	संचालक
6.	श्रीमति रश्मि सिंह पाले/राजेन्द्र सिंह	भैंसदेही	संचालक
7.	श्रीमति संध्या/जयसिंह कापसे	भैंसदेही	संचालक
8.	श्री जयसिंह/मोहन कापसे	भैंसदेही	संचालक
9.	श्री राजू/नामदेव कुम्हारे	भैंसदेही	संचालक
10.	श्री शिवेन्द्र सिंह/दुर्गाचरण सिंह	भैंसदेही	संचालक
11.	श्री सन्तोष/रंजी ठीकारे	भैंसदेही	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 22 नवम्बर, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

के. व्ही. सोरते, उप पंजीयक.

(G-919)

कार्यालय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, खरगौन

खरगौन दिनांक 18 अक्टूबर 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/क्यू-उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगौन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गोकुल साख सह. सं. म. खरगौन.	1728/10-03-2014	25/11-08-2003	खरगौन	बी. एल. जामरे, व.स.नि.
2.	डाकोर जी साख सह. सं. म. खरगौन.	1730/10-03-2014	27/28-08-2003	खरगौन	बी. एल. जामरे, व.स.नि.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यावाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

बी. एल. जामरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(G-920)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 12 अक्टूबर, 2021

क्र./परि./2021/क्यू- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कलेसर, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन.	2111-25-07-2011	1669-02-08-2021
2.	डॉ. अम्बेडकर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सरली, तहसील तराना, जिला उज्जैन.	2137-04-08-2015	1670-02-08-2021
3.	प्रगति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कालूखेड़ा तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन.	2203-04-09-2015	1686-03-08-2021
4.	जाग्रति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., माकड़ोन तहसील तराना, जिला उज्जैन.	2051-10-02-2015	1698-03-08-2021
5.	किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोनसा तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन.	2183-20-08-2015	1699-03-08-2021
6.	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बघेरा तहसील तराना, जिला उज्जैन.	2032-22-01-2015	1700-03-08-2021

अतः मैं, संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें.

उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/ आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकार्ड आदि हो, तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

संतोष सांकलिया, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-921)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 21 अक्टूबर 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./क्यू/2021.-सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन के आदेश क्र.-परि.-2021-1652, दिनांक 02 अगस्त 2021 क्रमांक-परि.-2021-1658, दिनांक 02 अगस्त 2021 व क्रमांक-परि.-2021-1659, दिनांक 02 अगस्त 2021 व क्रमांक-परि.-2021-1663 दिनांक 02 अगस्त 2021 व क्रमांक-परि.-2021-1692 दिनांक 03 अगस्त 2021 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री राम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महू आक्याधागा, तहसील महिदपुर.	DR/UJN/1966/27-12-2014	1663/02-08-2021
2.	माँ खोरियल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुण्डीखेडा, तहसील महिदपुर.	DR/UJN/2267/07-10-2015	1659/02-08-2021
3.	काया वरोह वर्णेश्वर संस्था मर्या., करोहन	DR/UJN/1980/01-01-2015	1658/02-08-2021
4.	कामधेनु बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर.	DR/UJN/109/03-10-2008	1652/02-08-2021
5.	भीमाशंकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कढ़ाई, तहसील महिदपुर.	DR/UJN/2313/25-07-2016	1692/03-08-2021

अतः मैं, राजेश शेर, उप. अंकेक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना निकल रहा हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाणपत्र सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित/सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़ चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो, तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

राजेश शेर, परिसमापक एवं उपअंकेक्षक

(G-922)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	श्री गणेश बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., सोनवाय	2488 / 10-02-2011	1081 / 04-03-2017

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएँ श्रम शिविर इंदौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 1:00 बजे से 4:00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सहकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर अस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनके वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है जो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना पत्र आज दिनांक 16 नवम्बर, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

जगदीश जलोदिया, परिसमापक.

(G-923)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, खरगौन

खरगौन, दिनांक 28 अक्टूबर 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./क्यू./2021.-उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगौन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलीमपुरा.	1448/11-11-2020	1841/10-03-2014	कसरावद	बसन्त यादव
2.	महालक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बैड़िया.	1449/11-11-2020	1842/10-03-2014	बड़वाह	बसन्त यादव
3.	संत सिंगाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोवाड़ी.	1451/11-11-2020	1845/10-03-2014	गोगावों	बसन्त यादव
4.	राहुल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सनावद.	1452/11-11-2020	1846/10-03-2014	बड़वाह	बसन्त यादव

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटबारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयवधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध (समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधनिक कार्यावाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

बसन्त यादव, परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(G-924)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/1.-उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि./2021/539,

दिनांक 06 जून 2016 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., मूण्डला महोबिया जोर्जई	953	1176-16-12-2015
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., मूण्डला आर्या	959	731/04-08-2015
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., शाहगंज	1268	786/26-08-2016
4.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., बकतरा	1192	731/04-08-2015
5.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., नेहरूगांव	1313	341/29-03-2016
6.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., निम्नागांव	1314	562/10-06-2016
7.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., टीकामोड़	1367	341/29-03-2016
8.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., निमोटा	1522	341/29-03-2016
9.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., छापरी	1595	341/29-03-2016
10.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., रिझाड़िया	1650	403/22-04-2016
11.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., नारायणपुरा	1674	403/22-04-2016
12.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., जहाजपुर	1686	403/22-04-2016
13.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., खितवाई	1731	52/17-01-2019
14.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., पांडागाव	1748	264/10-03-2016
15.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., तिल्लोद	1749	311/16-03-2016
16.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., गादर	1750	311/16-03-2016
17.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., चारमण्डली	1752	167/09-02-2016
18.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., पाड़ल्या	1349	1176/16-12-2015
19.	पृथ्वीराज आदि. मछुआ सह. संस्था मर्या., श्यामपुर	1077	1172/16-12-2015
20.	अन्नदाता बीज उत्पादक एवं विप. सह. संस्था पलासीकलां	1597	60/14-01-2016
21.	कृषि मित्र बीज उत्पा. एवं विप. सह. संस्था, बांसापुरा	1377	786-26-08-2016
22.	शिवा बीज उत्पा. एवं क्रय-विक्रय सह. संस्था, बांया	1768	786-26-08-2016

अतः मैं, ए. के. सीठा, पद सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी, सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-925)

ए. के. सीठा, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, भोपाल, संभाग भोपाल

(“डी-ब्लॉक पुराना, सचिवालय भोपाल फोन 0755-4924470)

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(क) के अन्तर्गत]

क्रमांक-विधि-2021-631.—जानकी अपार्टमेंट रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्या. भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./101480, दिनांक 26 नवम्बर 2020 (जिसे आगे संक्षेप में केवल “संस्था” कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक-विधि/2021/862, भोपाल दिनांक 18 अक्टूबर 2021 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. जिसका उत्तर दिनांक 1 नवम्बर 2021 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पक्ष समर्थन करने हेतु निर्देश दिये गये थे. नियत दिनांक 1 नवम्बर 2021 को संस्था की ओर से उपस्थित होकर संस्था अध्यक्ष एवं 07 संचालकों द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया विवरण निम्नानुसार है:—

आरोप क्र. 1:—संस्था के पंजीयन के समय 22 प्रवर्तक सदस्य थे तथा संस्था की अंकेक्षण टीप अनुसार मात्र 32 सदस्य है, जबकि संस्था के कार्यक्षेत्र में 232 मकान है. जिसमें परिवार निवासरत हैं. अतः संस्था के द्वारा सभी निवासरत सदस्यों को सदस्य बनाये जाने में असफल रही है. सोसायटी के आवेदकों (प्रवर्तक सदस्यों) द्वारा दुर्व्यपदेशन (misrepresentation) के आधार पर संस्था पंजीकृत करा दी गई है.

संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर :—संस्था अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत उत्तर में यह अस्वीकार किया है, कि संस्था के पंजीयन के समय 22 सदस्य थे एवं अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था के 32 सदस्य है. यह भी अस्वीकार है कि संस्था के कार्यक्षेत्र में 232 मकानों में परिवार निवासरत है और सोसायटी के प्रवर्तक सदस्यों द्वारा दुर्व्यपदेश के आधार पर संस्था पंजीकृत करा दी गई हैं. जबकि वास्तविकता यह है कि कॉलोनी के सभी सदस्यों द्वारा रहवासी एवं रखरखाव समिति बनाने का निर्णय लिया गया. उसके बाद 22 प्रवर्तक सदस्यों द्वारा समिति का विधिवत पंजीयन कराया गया. इसके पश्चात् सभी रहवासियों को सदस्य बनाने हेतु वाटसऐप ग्रुप, संस्था नोटिस बोर्ड एवं घर-घर जाकर रहवासियों को सदस्य बनने की सूचना दी गई. इसके पश्चात् केवल 9 सदस्य और बनाये गये हैं. इस प्रकार सदस्यों की संख्या 31 हो गयी है. समिति के कार्यक्षेत्र में कॉलोनी में 9 ब्लॉक है जिसमें से 221 फ्लेट है. इनमें से 140 फ्लेटों में रहवासी निवासरत है बाकि सभी फ्लेट खाली व बंद पड़े है संस्था में निवासरत सदस्यों को घर-घर जाकर सदस्य बनने हेतु सूचना दी गई थी तथा वाटसऐप पर भी सूचना दी गई. अतः संस्था समिति के सदस्यों को जबरदस्ती सदस्य नहीं बना सकती है जब तक की वह व्यक्ति न चाहे.

निष्कर्ष :—संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि समिति द्वारा सदस्य बनाये जाने हेतु सदस्यों को कब-कब सूचना दी गई, इस संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं. साथ ही 01 से 89 सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त सूची संलग्न की गई है किन्तु इन सदस्यों को संस्था की सदस्यता प्रदान नहीं की गई है. अतः आरोप प्रमाणित पाया जाता है.

आरोप क्र. 2:—संस्था में सदस्यों एवं कार्यक्षेत्र निवासियों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है, कि उनको संस्था के द्वारा पर्याप्त सुविधायें नहीं दी जा रही है. जिसमें प्रतिदिन विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है. अतः यह प्रमाण है कि जिन प्रायोजनों के लिए सोसायटी रजिस्ट्रीकृत की गई है उनकी पूर्ति करने में संस्था विफल रही है.

संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर:—संस्था अध्यक्ष द्वारा आरोप क्र. 2 को पूर्णता गलत होने से अस्वीकार किया है. वास्तविकता यह है कि संस्था के किसी भी सदस्य द्वारा संस्था की कोई शिकायत नहीं की गई है. शिकायतकर्ता संस्था के सदस्य नहीं है. उनकी शिकायत इन्टरनेट नहीं की जा सकती. संस्था के कार्यक्षेत्र में सौरभ जैन नाम का व्यक्ति है. जिसके दो फ्लेट है जिनमें वह स्वयं निवास नहीं करता, दोनों फ्लेट किराये पर दिये हुए है. उसके द्वारा समिति में किसी भी प्रकार का शुल्क भुगतान नहीं किया जा रहा है और सारी सुविधाएं ली जा रही है और साथ ही अन्य रहवासियों को रखरखाव शुल्क का भुगतान भी नहीं करने दे रहा है. संस्था द्वारा सभी रहवासियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है.

निष्कर्ष :—संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं है। क्योंकि संस्था द्वारा सदस्य बनाये जाने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये हैं, इस संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं। संस्था को जिस उद्देश्य के लिए पंजीकृत किया गया था उनकी पूर्ति करने में असफल रही है।

आरोप क्र. 3:—संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन मात्र 31 सदस्यों (रहवासियों) की सदस्यता सूची के आधार पर ही किया गया है। अतः प्रत्येक रहवासी की संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन में सहभागिता नहीं रही है। अतः संस्था में रहवासियों के इस कारण असंतोष है।

संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर:—संस्था अध्यक्ष द्वारा यह स्वीकार किया कि समिति में 31 सदस्यों के मध्य निर्वाचन हुआ क्योंकि संस्था में 31 सदस्य थे, किन्तु यह अस्वीकार किया कि संस्था सदस्यों में कोई असंतोष नहीं है। आरोप पूर्णतः कपोल कल्पित एवं मनगढ़ंत हैं। रहवासियों द्वारा उक्त निर्वाचन एवं समिति के पक्ष में अपनी सहमति प्रकट की है।

निष्कर्ष :—संस्था द्वारा प्रत्येक रहवासी सदस्य को संस्था का सदस्य नहीं बनाया गया है और न ही सदस्य बनाये जाने हेतु कोई प्रयास किये गये हैं। संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन में रहवासियों की सहभागिता नहीं रही है। अतः यह आरोप प्रमाणित पाया जाता है।

आरोप क्र. 4, 5 एवं 6:—संस्था में रहवासियों द्वारा की गई शिकायतों की जांच आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल को की गई थी जिसकी जांच संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी से कराई गई थी, जिसमें संस्था के शिकायत के संबंध में कुछ बिन्दु आंशिक प्रमाणित पाये गये हैं।

संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर:—बिन्दु क्रमांक 4, 5 एवं 6 में लगाये गये आरोपों को संस्था अध्यक्ष ने पूर्णतः अस्वीकार कर कहा है कि संस्था में कोई अनियमितता नहीं है और न ही दुर्व्यपदेश (misrepresentation) के आधार पर पंजीयन कराया गया है। दुर्व्यपदेश का मतलब है गलत जानकारी दी जाकर नियम के विपरीत पंजीयन कराना यहां तो समिति का पंजीयन विधिवत जानकारी दी जाकर नियमानुसार कराया गया है।

निष्कर्ष :—संस्था द्वारा आरोप क्र. 4, 5 एवं 6 में अधिरोपित आरोपों के संबंध में कोई अनियमितता न किये जाने का लेख किया गया है। जबकि संस्था द्वारा रहवासी सदस्यों को सदस्यता प्रदान नहीं की गई है और न ही इस हेतु कोई प्रयास किये गये हैं तथा संस्था बिना सदस्यता प्रदान किये हुये भी 89 सदस्यों की सूची प्रस्तुत की गई है जबकि संस्था को चाहिये था, कि जो सदस्य सदस्यता सूची पर हस्ताक्षर कर रहे हैं उन्हें सदस्यता प्रदान करनी ही चाहिये थी। वह सदस्य तो संस्था के सदस्य बनने के लिये भी तैयार होंगे। अतः संस्था द्वारा इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः संस्था पर अधिरोपित आरोप क्र. 4, 5 एवं 6 प्रमाणित पाया जाता है।

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा जानकारी अपार्टमेंट रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था (पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी. 101480, दिनांक 26-11-2020) का जिन उद्देश्यों के लिये पंजीयन किया गया था। उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। अतः उक्त संस्था का पंजीयन निरंतर रखा जाना अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला भोपाल के पत्र क्रमांक/पंजी./2044, भोपाल दिनांक 30 सितम्बर 2021 से इस कार्यालय को प्रेषित किया है, कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि संस्था रहवासी सदस्यों को सदस्य बनाने में असफल रही है तथा उसके द्वारा पंजीयन दिनांक के आज दिनांक तक मात्र 31 सदस्यों को ही सदस्यता प्रदान की गई है।

अतः मैं संजय दलेला, संयुक्त, रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए जानकारी अपार्टमेंट रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./101480, दिनांक 26 नवम्बर 2020 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूं तथा अधिनियम की धारा 18 (क) (2) के अन्तर्गत श्री मुकेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूं तथा आदेशित करता हूं कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 16 नवम्बर, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-926)

संजय दलेला, संयुक्त पंजीयक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2021—अग्रहायण 26, शक 1943

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)